[2021] 14 एस. सी. आर 1161

थोटा श्रीधर रेड्डी और हमारा।

वी.

मंडला रामुलम्मा और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 2506)

अक्टूबर 1,2021

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950-एस। 19 , 38 - ई-आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम अधिनियम, 1955 का उन्मूलन-संरक्षित किरायेदार-किरायेदारी अधिकारों का मौखिक समर्पण, यदि अनुमत हो-उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया

डीटीडी। 19.2.82 अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्ती को अधिभोग अधिकार प्रदान करने वाले राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा पारित

खरीदार के साथ-साथ संयुक्त कलेक्टर द्वारा संरक्षित किरायेदार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए पारित आदेश-खरीदार को दिए गए अधिभोग अधिकार रद्द कर दिए गए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एक संरक्षित किरायेदार की मौखिक किरायेदारी के समर्पण की अनुमति नहीं है

अभिधृति अधिनियम निर्धारित तरीके को छोड़कर एस 38-ई (5) आर/डब्ल्यू एस। 19 , किरायेदारी अधिनियम-वर्तमान मामले में, संरक्षित किरायेदार द्वारा मौखिक समर्पण वर्ष 1954 में स्थापित किया गया है और उसके बाद 1957 में किरायेदारी अधिकारों की बिक्री की गई है-इसके बाद, याचिका यू / धारा 19, किरायेदारी अधिनियम किरायेदारी अधिकारों की मंजूरी लेने के लिए दायर किया गया था, लेकिन अनुदान के खिलाफ अपील वापस लेने के आदेश के आधार पर वापस ले लिया गया था

अधिभोग अधिकार-इस प्रकार, खरीदारों ने किरायेदारी अधिकारों के समर्पण को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए, यह महसूस करते हुए कि इस तरह का समर्पण मौखिक या बिक्री विलेख को निष्पादित करके नहीं किया जा सकता है-यह खरीदार द्वारा शुरू किया गया एक कवर अप ऑपरेशन था-क्योंकि न तो मौखिक समर्पण और न ही लिखित में समर्पण को तहसीलदार द्वारा प्रामाणिक के रूप में दर्ज किया गया था, मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमोदित बाद का समर्पण एक शून्य है क्योंकि इस तरह का समर्पण वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यू / धारा 38-ई, किरायेदारी अधिनियम 23.3.75 पर जबकि अधिभोग अधिकार प्रदान करने की अनुमति वर्ष 1982 में इनाम के तहत दी गई थी।

अधिनियम यू/के तहत स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने पर धारा 38-ई, संरक्षित किरायेदारों को ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा-एक बार जब संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है, तो कोई अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदारों को उनसे अलग कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वामित्व प्रमाणपत्र के अनुदान के आधार पर उनका स्वामित्व यू / धारा 38-ई, किरायेदारी अधिनियम-अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के खिलाफ कथित रूप से संरक्षित किरायेदार द्वारा दायर अपील और

बाद में वापस लिया जाना पूरी तरह से महत्वहीन है-शीर्षक संरक्षित किरायेदार पूर्ण हैं और स्वामित्व उनके पास निहित है-अधिकार की बहाली के लिए हकदार।

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950-एस। 19 , 32 , 38 - ई-आयोजितः न ही एस। 19 न ही एस। 32 किरायेदारी अधिनियम के अध्याय III के हिस्से के रूप में लागू होते हैं

संरक्षित किरायेदार का सम्मान सिवाय इसके कि जब संदर्भ दिया गया हो

एस के प्रावधान। 19 एस के आधार पर। 38 - ई (5) जो एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है जो इसमें निहित किसी भी चीज़ को प्रबलित प्रभाव देता है।

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955-आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950-अधिनियमों का संचालन-आयोजितः इनाम अधिनियम और किरायेदारी अधिनियम दोनों एक ही विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। इनाम अधिनियम 1955 में अधिनियमित एक बाद का अधिनियम है। 38 - ई (1) को 1971 में प्रतिस्थापित किया गया था जो एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है इसलिए, किरायेदारी अधिनियम के तहत दिया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र के अनुदान पर प्रबल होगा-दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 संरक्षित किरायेदार के संबंध में किरायेदारी अधिनियम के अध्याय IV में निहित अधिनियम की योजना भौतिक रूप से है के अध्याय III द्वारा शासित किरायेदारों से अलग

किरायेदारी अधिनियम। संरक्षित किरायेदारों को बहुत ऊँचे स्थान पर रखा जाता है क्योंकि भले ही किसी संरक्षित किरायेदार के पास भूमि का कब्जा न हो, उसे बाद में कब्जा लेने का अधिकार दिया गया है।

इसलिए, न तो धारा 19 और न ही धारा 32 इसका हिस्सा है। किरायेदारी अधिनियम का अध्याय III निम्नलिखित के संबंध में लागू होता हैः

संरक्षित किरायेदार को छोड़कर जब संदर्भ दिया जाता है

धारा 38-ई (5) के आधार पर धारा 19 के प्रावधान जो एक गैर-अवरोधक खंड से शुरू होते हैं जो

धारा 38-ई में निहित कुछ भी। इस प्रकार का खंड अनिवार्य करता है कि

कलेक्टर यह पता लगाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करेंगे

संरक्षित थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस द्वारा किए गए अधिकार के समर्पण की वास्तविकता।

किरायेदार। यह अभ्यास किरायेदारी अधिकारों के समर्पण से पहले किया जाना था और बाद में कृषि गतिविधियों के आधार पर जीवित रहने वाले किरायेदार के साथ असमान सौदेबाजी शक्ति के बल पर कई वर्षों के कथित आत्मसमर्पण के बाद नहीं। खरीदारों ने वर्ष 1954 में किरायेदारी अधिकारों के मौखिक समर्पण और बाद में 5.2.1957 के एक लिखित दस्तावेज पर भरोसा किया। वर्ष 1957 में दस्तावेज़ का निष्पादन स्पष्ट रूप से साबित होता है

इसमें उत्तरदाताओं की संरक्षित किरायेदारी का तथ्य। इस तरह का समर्पण 1969 के आंध्र प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा इसे हटाए जाने से पहले किरायेदारी अधिनियम की धारा 47 के विपरीत है और किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के साथ पठित धारा 38-ई (5) का उल्लंघन है। [पारस 31,32] [1196-ई-एच; 1197-ए]

1.2 एक संरक्षित किरायेदार धारा 36 के साथ-साथ किरायेदारी अधिनियम की धारा 44 के संदर्भ में कब्जे की वसूली का हकदार है।

धारा 38-ई (5) को किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा, संरक्षित किरायेदार को किरायेदारी अधिनियम की धारा 36 के संदर्भ में कब्जा लेने का अधिकार है। धारा 38-डी के संदर्भ में भी, यदि भूमि धारक उस भूमि को बेचने का इरादा रखता है जो एक संरक्षित किरायेदार के कब्जे में, उसे ऐसे संरक्षित किरायेदार को अपने इरादे की लिखित सूचना देनी होती है। [पारस 33,34] [1197-बी. एफ] [2021] 14 एस. सी. आर.

1.3 धारा 38-ई में विचार किया गया है कि धारा 38-ई के तहत स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने पर, संरक्षित किरायेदारों को ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 38-ई (1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि यदि किसी संरक्षित किरायेदार को तरीके और तरीके के अलावा अन्य तरीके से बेदखल किया गया है। धारा 32 में दिए गए तहसीलदार के आदेश के बावजूद, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश या राजस्व बोर्ड या न्यायाधिकरण के आदेश के बावजूद, अधिसूचना की तारीख को भूमि का अधिकार माना जाएगा। तहसीलदार या तो स्वतः संज्ञान लेने या संरक्षित किरायेदार द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए एक संक्षिप्त जांच करने और भूमि धारक या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में भूमि का प्रत्यक्ष अधिग्रहण करने के लिए बाध्य है। एक संरक्षित किरायेदार से कब्जा केवल तभी लिया जा सकता है जब किरायेदारी के समर्पण को राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भूमि मालिक अधिनियम की धारा 46 के अनुसार कब्जा बहाल करने के लिए उत्तरदायी है यदि वह एक वर्ष के भीतर व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने में विफल रहा है। इसलिए, संरक्षित किरायेदार द्वारा किरायेदारी अधिकारों के समर्पण पर प्रतिबंध है और यदि किरायेदारी समाप्त कर दी जाती है, तो भी भूमि धारक व्यक्तिगत रूप से किरायेदार को कब्जा बहाल करने के लिए उत्तरदायी है, यदि वह किरायेदारी की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर भूमि पर खेती करने में विफल रहता है। एक बार स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाता है

जिसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, भूमि हस्तांतरित की जाती है और संरक्षित किरायेदार में निहित होती है

ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामी। इस तरह का प्रमाण पत्र किरायेदारी अधिनियम के तहत भूमि मालिक के अधिकारों के अधीन अंतिम है जो केवल मुआवजे की मांग करने के लिए है। [पारस 35,36] [1197-एफ-एच; 1198-ए-सी]

1.4 वर्तमान मामले में, पूरा तर्क मौखिक समर्पण और बाद में दाखिल करने और वापस लेने के तथ्य पर आधारित है।

वर्ष 1989 में अपील और वर्ष 2015 में स्वामित्व प्रमाण पत्र के खिलाफ विलंबित अपील दायर करने की। अपील दायर करने और उसे वापस लेने का तथ्य खरीदारों द्वारा संयुक्त कलेक्टर के समक्ष या उससे पहले की कार्यवाही में पहली बार में नहीं उठाया गया था। उच्च न्यायालय। चूँकि ऐसे दस्तावेज़ जल्द से जल्द प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और ऐसे दस्तावेज़ों की सत्यता संदेह से परे नहीं है, इसलिए खरीदारों को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र के अनुदान के ज्ञान का कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यह अजीब बात है कि अपील 14.2.1989 पर वापस ले ली गई थी लेकिन धारा थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस।

संरक्षित किरायेदार को कानूनी रूप से वैध रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 30। वर्तमान मामले में, किरायेदारी अधिकारों का समर्पण मंडल राजस्व अधिकारी के समक्ष है।

31.1.1989 , जबकि किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के प्रावधान के अनुसार, एक किरायेदार वर्ष की शुरुआत से कम से कम एक महीने पहले अपने अधिकारों का समर्पण कर सकता है और वह समर्पण

किरायेदार द्वारा लिखित रूप में किया जाना चाहिए। इस तरह के समर्पण को उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष स्वीकार किया जाना है और प्राधिकरण को खुद को संतुष्ट करना है। वह समर्पण सद्भावना से किया जाता है। वर्तमान मामले में, मौखिक

संरक्षित किरायेदार द्वारा समर्पण वर्ष 1954 में स्थापित किया गया है। इस तरह के समर्पण के बाद वर्ष में किरायेदारी अधिकारों की बिक्री होती है।

1957. इसके बाद, किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 के तहत किरायेदारी अधिकारों की मंजूरी लेने के लिए याचिका दायर की गई थी, इस तरह के आवेदन को अधिभोग अधिकारों के अनुदान के खिलाफ अपील वापस लेने के आदेश के आधार पर वापस ले लिया गया था। इससे पता चलता है कि खरीदारों ने किरायेदारी अधिकारों का समर्पण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं, यह महसूस करते हुए कि इस तरह का समर्पण मौखिक रूप से या द्वारा नहीं किया जा सकता है।

एक बिक्री विलेख निष्पादित करना। यह खरीदार द्वारा शुरू किया गया एक कवर अप ऑपरेशन था, लेकिन यह अभी भी क़ानून के जनादेश के खिलाफ था क्योंकि समर्पण के निष्कर्ष को तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाना है। चूंकि, न तो मौखिक आत्मसमर्पण और न ही आत्मसमर्पण।

तहसीलदार द्वारा लिखित रूप में प्रामाणिक के रूप में दर्ज किया गया था, मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमोदित बाद का समर्पण एक अमान्य है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि इस तरह का समर्पण वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। संरक्षित किरायेदार को 23.3.1975 पर किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-E के तहत स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि अधिभोग अधिकार प्रदान किए गए थे

वर्ष 1982 में इनाम अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। [पारस 37,38] [1198-ई-एच; 1199-ए-ई]

1.5 धारा 38-ई की उप-धारा (5) में जाँच का प्रावधान है।

धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत संरक्षित किरायेदार द्वारा अधिकार के समर्पण की वास्तविकता का पता लगाने के लिए। किरायेदारी अधिनियम के अध्याय IV में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि

समर्पण ने किरायेदारी अधिकारों की रक्षा की। हालाँकि, यदि किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो कलेक्टर द्वारा इस तरह के समर्पण की वास्तविकता का पता लगाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि उप [2021] 14 एस. सी. आर. में स्पष्टीकरण।

किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई की धारा (1) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संरक्षित किरायेदार, धारा 32 में दिए गए तरीके और आदेश के अलावा अन्यथा बेदखल होने के कारण, उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख को भूमि के कब्जे में नहीं है, तो तहसीलदार इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, -

उक्त धारा 32, या तो स्वतः या इसके आवेदन पर

संरक्षित किरायेदार एक संक्षिप्त जांच करता है, और निर्देश देता है कि ऐसी भूमि जो भूमि धारक के कब्जे में है या कोई भी व्यक्ति जो दावा कर रहा है

उस क्षेत्र में उसके माध्यम से या उसके अधीन, उसके ऐसे कब्जे से लिया जाएगा और संरक्षित किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा। [पारस 42,44] [1200-डी-ई, जी-एच; 1201-ए]

पोन्नला नरसिंह राव बनाम। नल्लोला पंतैया (1998) 9 एस. सी. सी. 183: 1998 (7) जे. टी. 600; वोरला रामचंद्र रेड्डी और अन्न। वी. संयुक्त कलेक्टर आई एंड ओआरएस। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. एस. 703; बोड्डुम नरसिम्हा बनाम। हसन अली खान और अन्य। (2007) 11 एस. सी. सी. 410: [2007] 1 एस. सी. आर. 1223 विशिष्ट।

1.6 अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के खिलाफ संरक्षित किरायेदार द्वारा कथित रूप से दायर अपील और बाद में वापस लिया जाना पूरी तरह से असंगत है क्योंकि किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के संदर्भ में स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुदान के बाद, संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है। एक बार जब संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है, तो कोई अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है क्योंकि खरीदारों को अलग कर दिया गया था किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुदान के आधार पर उनके स्वामित्व का। खरीदारों द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र पर भी विवाद नहीं किया गया था। इसलिए, संरक्षित किरायेदारों का स्वामित्व पूर्ण है और स्वामित्व स्पष्ट रूप से उनके पास निहित है। खरीदार के पास अधिभोग का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण पर 1.11.1973 से कब्जे के आधार पर अधिकार। यदि संरक्षित किरायेदारी अधिकारों का समर्पण क़ानून के जनादेश के अनुसार नहीं है, तो 1.11.1973 से कब्जा महत्वहीन होगा क्योंकि इस तरह का कब्जा संरक्षित किरायेदार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो वैधानिक संरक्षण का हकदार है। वास्तव में, प्रमाणपत्र का अनुदान स्पष्ट रूप से संरक्षित किरायेदार को स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित करता है। [पारस 47,48] [1202-डी-जी] थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस।

अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इनाम अधिनियम भूमि मालिक से संबंधित है, जबकि किरायेदारी अधिनियम टिलर यानी एक संरक्षित किरायेदार सहित किरायेदार के अधिकारों की रक्षा करता है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई को शुरू में वर्ष 1954 में जोड़ा गया था और बाद में 1971 में इस तरह के प्रावधान को ओवरराइडिंग प्रभाव देते हुए प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए इनाम अधिनियम के तहत इनामदार ऐसा नहीं करेगा।

की दृष्टि में अधिभोग अधिकारों के आवंटन का कोई अधिकार है धारा 38-ई को अधिमान्य प्रभाव दिया गया। [पैरा 49] [1202-जी-एच; 1203-ए-ई]

1.8 हालांकि, 19 एकड़ और 16 गुंटा की भूमि के संबंध में संरक्षित किरायेदार को स्वामित्व अधिकार दिए गए थे, जबकि सर्वेक्षण संख्या में आने वाली भूमि सहित 31.05 गुंटा की भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार दिए गए हैं। 61 और 62 जीदीमेटला गाँव में 19.2.1982 पर। इसलिए, खरीदार के पक्ष में उक्त अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र सर्वेक्षण संख्या के तहत आने वाली भूमि के संबंध में मान्य होगा। 61 और 62, जो संरक्षित किरायेदार द्वारा अपनी किरायेदारी के हिस्से के रूप में दावा की गई भूमि नहीं है। सर्वेक्षण सं. में आने वाली भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र। 53 , 54 , 55 और 56 शून्य है

और शून्य और निष्क्रिय। संरक्षित किरायेदार धारा [2021] 14 एस के स्पष्टीकरण के संदर्भ में कब्जे की बहाली का हकदार होगा।

38 - ई (1) को किरायेदारी अधिनियम की धारा 32 के साथ पढ़ा जाता है। तहसिलाफ्ता यह सुनिश्चित करें कि कब्जा 3 महीने के भीतर संरक्षित तहसिलाफ्ता को दिया जाए। इस प्रकार, वर्तमान अपीलों को सर्वेक्षण संख्या में आने वाली भूमि की सीमा से हटाकर खारिज कर दिया जाता है। 61 और 62 में जो खरीदार को अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था

19.2.1982 वैध होगा। [पारस 50-52] [1203-F-H; 1204-A

एस. रंगैया और ओआरएस। वी. कलेक्टर मेडक और अन्य। (1996) एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 275; एस. वीरा रेड्डी बनाम। चेतलापल्ली

चंदैयाहा (1994) एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 510; भीमवरपु

वेंकैया और अन्न। वी. आर. डी. ओ. (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 896; एस. नरसिम्हा और अन्य। वी. संयुक्त कलेक्टर-II, रंगा

रेड्डी जिला (2006) एससीसी ऑनलाइन एपी 57 -

प्रतिष्ठित।

कोटैया और अन्न। वी. प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ द बैपटिस्ट चर्च (पी) लिमिटेड (1989) 3 एस. सी. सी. 424: [1989] 3 एस. सी. आर. 472; एल. आर. और अन्य के माध्यम से एडुकान्ति किस्टम्मा (मृत)। वी. एस. वेंकटरेड्डी (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। (2010) 1 एससीसी 756: [2009] 16 एस. सी. आर. 47; बी. बाल रेड्डी बनाम तीगला नारायण रेड्डी (2016) 15 एससीसी 102 [2016] 4 एससीआर

62 – पर भरोसा किया।

रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य। वी. मंजीत कौर और अन्य। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 975; जय नारायण परशुरामपुरिया बनाम। पुष्पा देवी सराफ (2006) 7 एस. सी. सी. 756: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 325; जुपुडी भूषणम बनाम। संयुक्त कलेक्टर, खम्मम और अन्य। (1996) एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 941; कासा मुथन्ना और एक अन्य बनाम। सुंके राजन्ना और 11 ओआरएस। (2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड 592; सदा बनाम। तहसीलदार (1987) 2 एपीएलजे 397; जे. नारायण और अन्य। वी. जैनपल्ली पेड्डा किस्टैया और ओआरएस। (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 289

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 1 एससीआर 1223

प्रतिष्ठित

पैरा 10

[2006] 5 पूरक। एससीआर 325

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2016] 4 एससीआर 62

उस पर भरोसा करें

पैरा 17 थोटा श्रीधर रेड्डी और हमारा। वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस।

[1989] 3 एससीआर 472

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[2009] 16 एससीआर 47

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2506

2021 से।

उच्च न्यायालय के 03.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. आर. पी. No.3848 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए।

के साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 2507। दुष्यंत ए. डेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. रामकृष्ण रेड्डी,

वी. रामकृष्ण रेड्डी, सुश्री नेहा सांगवान, सुश्री डी. तेजस्वी रेड्डी, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, आर. वी. योगेश, निशेष शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

बी. आदि नारायण राव, गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बलराम

गौड़, आबिद अली बीरन, मिथुन शशांक, शरत एस. जनार्दनन, सुश्री फिल्जा मूनिस, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था हेमंत गुप्ता, जे।

1. इन दोनों अपीलों को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय, जिसके द्वारा आंध्र की धारा 28 के तहत संशोधन श्री थोटा को अधिभोग अधिकार प्रदान करने वाले राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा पारित 19.2.1982 दिनांकित आदेश को दरकिनार करते हुए प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम अधिनियम, 1955 1 को अनुमति दी गई थी।

बालकृष्ण रेड्डी, पूर्ववर्ती-वर्तमान अपीलार्थियों के हित में 2 सर्वेक्षण संख्या में आने वाली 31.05 गुंटा मापने वाली भूमि के संबंध में। 53 , 54 , 55 , 56 , 61 और ग्राम जीदीमेटला में 62 के साथ-साथ संयुक्त कलेक्टर द्वारा पारित 4.12.2017 दिनांकित आदेश जिसके द्वारा अपील दायर की गई

येत्तैया 3 को बर्खास्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय के इस तरह के आदेश का परिणामी प्रभाव यह था कि खरीदार को दिए गए अधिभोग अधिकार रद्द कर दिए गए थे। 1 संक्षेप में, 'इनाम अधिनियम'

2 इसके बाद 'खरीदार' के रूप में संदर्भित किया जाता है

3 संक्षेप में, 'संरक्षित किरायेदार' [2021] 14 एस. सी. आर.

2. अब, खरीदार अधिभोग अधिकारों की बहाली चाहता है।

वर्तमान अपीलों में 19.2.1982 पर उनके पक्ष में प्रदान किया गया। दूसरी ओर, संरक्षित किरायेदार आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 19504 की धारा 38-ई के तहत 20.3.1975 पर मंडला येत्तैया को दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे अधिकारों का दावा करता है।

3. यह विवाद में नहीं है कि मंडला लक्ष्मैया 19 एकड़ और सर्वेक्षण संख्या वाले 16 गुंटा वाली भूमि पर संरक्षित किरायेदार थे। 53 , 54 , 55 और 56 गाँव जीदीमेटला, जिला हैदराबाद में। कहा जाता है कि किरायेदारी के अधिकारों को श्री के पक्ष में मौखिक रूप से समर्पण कर दिया गया था।

थोटा बालकृष्ण रेड्डी वर्ष 1954 में। मूल इनामदार जयराम राव और वेंकटेश्वर राव ने खरीदार-श्री थोटा बालकृष्ण रेड्डी के पक्ष में 19 एकड़ और 16 गुंटा जमीन के बिक्री विलेख को 5.7.1957 पर निष्पादित किया। उसी दिन, संरक्षित किरायेदार ने कथित तौर पर खरीदार के पक्ष में किरायेदारी के अधिकार भी बेच दिए हैं।

4. खरीदार ने वर्ष 1975 में इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इस तरह का प्रमाण पत्र खरीदार द्वारा भूमि पर कब्जे और कब्जे को देखते हुए उसे 19.2.1982 पर दिया गया था। दूसरी ओर, संरक्षित किरायेदार को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे जब किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के तहत स्वामित्व का प्रमाण पत्र 20.3.1975 पर जारी किया गया था। संरक्षित किरायेदार को दिए गए स्वामित्व का प्रमाण पत्र इस प्रकार हैः

" धारा 38-ई के तहत स्वामित्व का प्रमाण पत्र
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र)

जबकि श्री येत्तैया भूमि धारक श्री एम. वेंकटेश्वर राव, पुत्र ननाथ राव से संबंधित नीचे निर्दिष्ट भूमि का संरक्षित किरायेदार है।
और जबकि सरकार के आधार पर। अधिसूचना सं। आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 38-ई के तहत जारी 1 जनवरी, 1973 को जी. ओ. सुश्री संख्या 3, राजस्व (जी), उक्त भूमि का स्वामित्व उक्त श्री येत्तैया को हस्तांतरित कर दिया गया है।

एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त किरायेदार श्री येत्तैया को 1 जनवरी से उक्त भूमि का मालिक माना जाएगा।

4 संक्षेप में, 'किरायेदारी अधिनियम' थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

1973 भूमि धारक और अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके पास कोई

उसमें रुचि रखते हैं।

भूमि का विवरण

जिला. टीक्यू।

गाँव

मूल्यांकन

सीमाएँ

स्याह। पॉट। ड्राई या एरिया एसी।

नहीं। हिस्सा वेट

रु. पी. एस

जीटीएस

नहीं।

हाइड। मेडचल जीडिमेटिया 53

4.24

सूखा।

जमीनें

54

0.13

55

0.13

56

14.08

19.16

5. खरीदार के पास संरक्षित किरायेदारी अधिकार थे, सबसे पहले वर्ष 1954 में कथित मौखिक समर्पण द्वारा और दूसरा, हस्तांतरण द्वारा

खरीदार को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र देने के खिलाफ 14.2.1989 पर संरक्षित किरायेदार द्वारा अपील वापस लेने का तथ्य। द. खरीदार मंडल राजस्व अधिकारी, गुतुबुल्लापुर मंडल द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 के तहत एक याचिका में 31.1.1989 पर पारित एक आदेश पर भी भरोसा करता है, जिसमें कथित रूप से उसके द्वारा 24.1.1989 पर दायर एक हलफनामे के आधार पर संरक्षित किरायेदार द्वारा संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण को मान्यता दी गई है।

खरीदार को अधिभोग अधिकार। हालांकि वापस लेने का आदेश

अपील 14.2.1989 पर पारित की गई थी, लेकिन धारा 19 याचिका 31.1.1989 पर खारिज कर दी गई थी। 6. सिविल अपील सं। 2508-2509 2021 का विशेष अवकाश याचिकाओं के माध्यम से उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था जिन्होंने भूखंड खरीदे हैं।

मीनाक्षी एस्टेट के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी में अन्य व्यक्ति 9 एकड़ 16 गुंटा की भूमि पर विकसित हुए। उक्त अपीलों में, संरक्षित किरायेदार के हित में उत्तराधिकारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने विचाराधीन भूमि पर अपना दावा छोड़ दिया और 9 एकड़ 16 गुंटा भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर अपना दावा सीमित कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान अपीलों में मुद्दा शेष 10 एकड़ भूमि के संबंध में है।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न होना आवश्यक है -

इसमें इस बात की जांच की गई है कि क्या खरीदार का यह रुख कि संरक्षित किरायेदार ने किरायेदारी के अधिकारों को मौखिक रूप से समर्पण कर दिया था और जिसे बाद में मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा 31.1.1989 पर स्वीकार कर लिया गया था, कानूनी और वैध है और किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। सहायक सवाल यह होगा कि क्या खरीदार 19.2.1982 पर अधिभोग अधिकारों का दावा कर सकता है जब स्वामित्व अधिकार थे 20.3.1975 पर संरक्षित किरायेदार के पक्ष में हस्तांतरित। यह भी पता लगाया जाना है कि क्या संपत्ति में कोई हस्तांतरणीय ब्याज था जो 1982 में खरीदार को दिया जा सकता था। इस तरह की दलीलों का मूल्यांकन किरायेदारी अधिनियम और इनाम अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के आलोक में किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं:

" टेनेंसी एक्ट

2 (1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो

या संदर्भः

XXX

XXX

XXX

(आर) "संरक्षित किरायेदार" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे एक माना जाता है

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित किरायेदार;

("संरक्षित" के लिए 1971 के ए. पी. अधिनियम संख्या 15 द्वारा प्रतिस्थापित का अर्थ है -

व्यक्ति जिसे प्रावधानों के तहत संरक्षित किरायेदार माना जाता है

इस अधिनियम का)

XXX

XXX

XXX

(v) "किरायेदार" का अर्थ है एक असामी शिक्मी जो पट्टे पर भूमि रखता है और एक व्यक्ति को शामिल करता है जिसे इसके तहत किरायेदार माना जाता है

इस अधिनियम के प्रावधान;

XXX

XXX

XXX

अध्याय III

किरायेदार

19. (1) किसी समझौते या उपयोग या किसी डिक्री के बावजूद या

विधि न्यायालय का आदेश, लेकिन उप-धारा के प्रावधानों के अधीन

(3) , समाप्ति से पहले भूमि की कोई किरायेदारी समाप्त नहीं की जाएगी। उस अवधि के लिए जिसके लिए भूमि पट्टे पर दी गई है या पट्टे पर दी गई है

अन्यथा, थोटा श्रीधर रेड्डी और हमारा। वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

(क) किरायेदार द्वारा वर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक महीने पहले भूमि धारक को अपने अधिकारों का समर्पण करके।

बशर्ते कि ऐसा समर्पण किरायेदार द्वारा लिखित रूप में किया जाता है

और उसके द्वारा पहले प्रवेश दिया जाता है और तहसीलदार की संतुष्टि के लिए सद्भावना से बनाया जाता है; या

बशर्ते कि जहां भूमि की खेती संयुक्त रूप से की जाती है

संयुक्त किरायेदार या अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य, जब तक कि उन सभी द्वारा समर्पण नहीं किया जाता है, यह ऐसे संयुक्त किरायेदारों के संबंध में अप्रभावी होगा जो समर्पण के लिए आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि सभी संयुक्त किरायेदारों के नाम प्रमाण पत्र में उल्लिखित नहीं हैं।

(ख) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट आधार पर भूमिधारक द्वारा।

XXX

XXX

XXX

अध्याय IV

संरक्षित किरायेदार

34. (1) किसी व्यक्ति को, उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भूमि के संबंध में संरक्षित किरायेदार माना जाएगा यदि वह

(क) ऐसी भूमि को लगातार किरायेदार के रूप में धारण किया है, -

(i) कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए, जो पूरी तरह से फासिल वर्ष 1342 और 1352 (दोनों वर्ष सहित) में शामिल अवधि है, या

((ii) 1 जनवरी, 1948 से ठीक पहले छह साल से कम की अवधि के लिए, या

((ग) फासिल वर्ष 1353 (6 अक्टूबर, 1943) के पहले दिन से पहले शुरू होने वाली और इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पूरी होने वाली कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए, और

XXX

XXX

XXX

(3) एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ में अब उस भूमि के कब्जे में नहीं है जिसके संबंध में वह उप के तहत माना जाता है

धारा (1) एक संरक्षित किरायेदार होने के लिए, उस उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी भूमि के संबंध में एक संरक्षित किरायेदार नहीं माना जाएगा यदि [2021] 14 एस. सी. आर.

(क) उसे किसी डिक्री के अनुसरण में ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया गया था या

किसी सक्षम न्यायालय का आदेश, या

((ख) ऐसी भूमि पर भूमि-धारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की जा रही है, या

(ग) भूमि-धारक द्वारा एक स्थायी संरचना का निर्माण किया गया है।

ऐसी भूमि, या

(घ) ऐसी भूमि को भूमि-धारक द्वारा स्थायी रूप से मोड़ दिया गया है।

गैर-कृषि उपयोग के लिए।

स्पष्टीकरण। - इस धारा की उप-धाराओं (2) और (3) में और धारा 35,36 और 37 में किसी व्यक्ति के संदर्भों में ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संदर्भ शामिल हैं जो उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण III में निर्दिष्ट हैं।

* 38 - ई. (1) किसी बात के होते हुए भी यह अध्याय या कुछ समय के लिए लागू कोई कानून या कोई प्रथा, उपयोग, निर्णय, डिक्री,

इसके विपरीत, सरकार, तेलंगाना राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी संबंध में घोषणा कर सकती है क्षेत्र और ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, कि संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित सभी भूमि का स्वामित्व, जो वे इस अध्याय के किसी प्रावधान के तहत ऐसे क्षेत्र में अपने भूमि धारकों से खरीदने के हकदार हैं, धारा 38 की उप धारा (7) में निर्धारित शर्त के अधीन, उन्हें धारण करने वाले संरक्षित किरायेदारों को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित किया जाएगा और ऐसी तारीख से संरक्षित किरायेदारों को ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगाः

बशर्ते कि ऐसी किसी भूमि के संबंध में, कोई

धारा 19 या धारा 32 या धारा 44 के तहत कार्यवाही इस तरह से अधिसूचित तिथि पर लंबित है, ऐसी भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को ऐसी कार्यवाही अंततः प्रभावी होगी।

निर्णय लिया गया, और जब किरायेदार ऐसी कार्यवाही में निर्णय के अनुसार भूमि का कब्जा बरकरार रखता है।

व्याख्याः - यदि कोई संरक्षित किरायेदार, उसके तरीके और क्रम के अलावा अन्यथा बेदखल होने के कारण

तहसीलदार, जैसा कि धारा 32 में उपबंधित है, इसके तहत जारी अधिसूचना की तारीख को भूमि के कब्जे में नहीं है, तो इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा संरक्षित किरायेदार - किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, या राजस्व बोर्ड या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण, थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस के आदेश के बावजूद।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

यह समझा जाए कि अधिसूचना की तारीख को भूमि का कब्जा था; और तदनुसार, तहसीलदार उक्त धारा 32 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, या तो स्वतः या संरक्षित किरायेदार के आवेदन पर एक संक्षिप्त जांच करेगा, और निर्देश देगा कि भूमि धारक के कब्जे में ऐसी भूमि या उस क्षेत्र में उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिया जाएगा। भूमिधारक या यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति के कब्जे से, और संरक्षित किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा और इस धारा के प्रावधान हर मामले में उस पर लागू होंगे जैसे कि संरक्षित किरायेदार ने ऐसी अधिसूचना की तारीख को भूमि पर कब्जा कर लिया था।

(2) उसे मालिक घोषित करने वाले निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी जांच करने के बाद, जो निर्धारित की जाए, ऐसे प्रत्येक संरक्षित किरायेदार को जारी किया जाएगा और ऐसे किरायेदारों को नोटिस दिया जाएगा। यह निर्गम भूमिधारक को एक साथ जारी किया जाएगा। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि संरक्षित किरायेदार प्रमाण पत्र की तारीख से भूमि का मालिक बन गया है, जबकि भूमि धारक और उसमें कोई भी हित रखने वाले अन्य सभी व्यक्तिः

बशर्ते कि जहां वह भूमि, जिसका स्वामित्व उप-धारा (1) के तहत संरक्षित किरायेदार को हस्तांतरित किया गया है, संरक्षित किरायेदार या इस उप-धारा के तहत जारी प्रमाण पत्र के धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, वहां तहसीलदार के लिए यह वैध होगा कि वह उक्त भूमि का कब्जा संरक्षित किरायेदार या प्रमाण पत्र के धारक को वापस कर दे।

उसमें रहने वाले को निर्धारित तरीके से बेदखली की सूचना।

उप-धारा (2) के तहत प्रमाण पत्र, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित भूमि का प्रत्येक भूमि धारक, निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर करेगा। उस भूमि में उसके ब्याज की उचित कीमत, जिसे उप-धारा (1) के तहत किसी संरक्षित किरायेदार के स्वामित्व को हस्तांतरित किया गया है, और यदि भूमि धारक द्वारा ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तो न्यायाधिकरण स्वतः ही ऐसी कीमत निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है और उसके बाद धारा 38 की उप-धारा (4) से (8) के सभी प्रावधान ऐसे आवेदन पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगेः

बशर्ते कि यदि संरक्षित किरायेदार किसी भी किस्त के संबंध में चूक करता है, तो इसे सरकार द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और भूमि धारक को भुगतान किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि कीमत का पूरा या कोई हिस्सा

(4) सरकार, इस धारा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, नियमों द्वारा, ऐसे पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकती है जो वे समझते हैं। आवश्यक, जैसे कि अधिसूचित तिथि पर किरायेदार के स्वामित्व की सीमा और भूमि की सीमा का पता लगाने के लिए जांच करने की प्रक्रिया, जिसे माना जाना है

संरक्षित किरायेदारों को हस्तांतरित और निहित किया गया।

(5) इस धारा या धारा 19 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कलेक्टर, किसी भी समय स्वतः संज्ञान लेते हुए, अधिकार के समर्पण की वास्तविकता का पता लगाने की दृष्टि से जांच कर सकता है। इस धारा के तहत स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत संरक्षित किरायेदार द्वारा किया गया, और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश

इस उप-धारा के तहत पारित किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर न मिला हो।

हैदराबाद अधिनियम सं। 1954 का तीसरा। अंतःस्थापित खंड

यह नीचे लिखा हैः

" 38 - ई (1) इस अध्याय या उस समय लागू किसी कानून या किसी प्रथा, उपयोग, डिक्री में कुछ भी होने के बावजूद,

इसके विपरीत अनुबंध या अनुदान सरकार, जरीदा में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र के संबंध में घोषणा कर सकती है और

ऐसी तारीख से जो उसमें निर्दिष्ट की जाए कि संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित सभी भूमि का स्वामित्व जो वे किसी भी थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस के तहत ऐसे क्षेत्र में अपने भूमि-धारकों से खरीदने के हकदार हैं।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इस अध्याय का प्रावधान उप के प्रावधानों के अधीन होगा

अधिनियम की धारा 38 की धारा (7) को हस्तांतरित किया जाता है और

उन्हें धारण करने वाले संरक्षित किरायेदारों में निहित करें और ऐसी तारीख से

संरक्षित किरायेदार को इसका पूर्ण मालिक माना जाएगा।

ऐसी भूमि "।

उक्त प्रावधान को एपी अधिनियम संख्या 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1971 , जैसा कि ऊपर निकाला गया है।

XXX

XXX

XXX

44. ** [(1) उप-धारा (8) के प्रावधानों के अधीन एक भूमि धारक, जो उस तारीख को हैदराबाद किरायेदारी और

कृषि भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1954 लागू होता है, पहले से ही संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए परिवार की हिस्सेदारी के तीन गुना क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से खेती नहीं कर रहा है और जो सद्भावना से व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिए एक संरक्षित किरायेदार को पट्टे पर दी गई भूमि की आवश्यकता रखता है, अधिनियम की धारा 19 में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

किरायेदारी को समाप्त करना और ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के हिस्से को फिर से शुरू करना, जो उस भूमि के साथ, जिसमें वह पहले से ही व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहा है, या तो मालिक या संरक्षित किरायेदार के रूप में, कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को निर्धारित तरीके से आवेदन करके परिवार की हिस्सेदारी के तीन गुना के बराबर होगी, जिसे सरकार समय-समय पर इस संबंध में अधिकृत कर सकती है।

*** [बशर्ते कि शुरू होने के बाद

हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1955, ऐसा कोई भी भूमि धारक इस उप-धारा के तहत फिर से शुरू करने के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके पास उक्त अधिनियम के शुरू होने से अठारह महीने की अवधि के भीतर उप-कलेक्टर के पास निर्धारित तरीके से, उन भूमि का सीमांकन करने वाला आरक्षण का विवरण न हो, जिसे वह इस धारा के तहत अधिकारों के प्रयोग या फिर से शुरू करने के लिए आरक्षित करता है। ऐसा बयान दाखिल किए जाने पर, उप-कलेक्टर, जितनी जल्दी हो सके, आवश्यक जांच करने के बाद, उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। भूमिधारक निर्धारित तरीके से इस प्रभाव से कि भूमि इस प्रकार आरक्षित की गई है। किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार केवल प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट भूमि के संबंध में प्रयोग किया जाएगा जैसा कि इस प्रकार आरक्षित है और किसी अन्य भूमि तक विस्तारित नहीं होगा।]

** हैदराबाद अधिनियम सं। 1954 का तीसरा।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

*** हैदराबाद अधिनियम सं। 1956 का तीसरा

बशर्ते कि, जहां इस तरह की बहाली से वह भूमि जो अन्य स्वामित्व वाली भूमि के साथ संरक्षित किरायेदार के पास रह जाएगी या उसके द्वारा खेती की गई भूमि एक मूल स्वामित्व से कम होगी, किरायेदारी को समाप्त करने का भूमि धारक का अधिकार, उसके द्वारा उक्त संरक्षित किरायेदार को पट्टे पर दी गई भूमि के आधे क्षेत्र तक सीमित होगाः

बशर्ते कि जहां किसी भूमिधारक के स्वामित्व वाली भूमि मूल स्वामित्व से अधिक नहीं है, वह फिर से शुरू करने का हकदार होगा। उसके द्वारा पूरी भूमि पट्टे पर दी गई।]

46. यदि किसी भी समय किरायेदार तहसीलदार को आवेदन करता है और उसे संतुष्ट करता है कि भूमि धारक धारा 45 के प्रावधानों का उचित समय के भीतर पालन करने में विफल रहा है, तो संरक्षित

किरायेदार को तहसीलदार के निर्देश पर ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो किरायेदार को उसकी बेदखली से हुए किसी भी नुकसान के लिए और भूमि धारक द्वारा उक्त धारा द्वारा आवश्यक भूमि को बहाल करने या उसका कब्जा देने में विफलता के लिए तहसीलदार द्वारा दिया जाए।

47. (1969 के ए. पी. अधिनियम No.12 द्वारा हटा दिया गया)

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई स्थायी अलगाव नहीं और कृषि भूमि का कोई अन्य हस्तांतरण नहीं।

यह तब तक वैध होगा जब तक कि यह पिछली मंजूरी के साथ नहीं किया गया है, [या वसीयत द्वारा स्वभाव के मामले में] तालुकदार द्वारा पुष्टि की गई है।

[बशर्ते कि कलेक्टर एक स्थायी घोषणा कर सकता है

कृषि भूमि का अलगाव या कोई अन्य हस्तांतरण वैध होगा यदि स्थायी अलगाव या हस्तांतरण इससे पहले हुआ था

हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1954 का प्रारंभ और हस्तांतरित भूमि का कब्जा थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

यदि मंजूरी के लिए आवेदन इस तरह के शुरू होने के एक साल के भीतर किया जाता है तो इस तरह के शुरू होने से पहले विक्रेता को दिया गया था]।

हैदराबाद अधिनियम सं। 1954 का तीसरा

(2) इस तरह की पूर्व मंजूरी [या पुष्टि] के लिए आवेदन इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा निर्धारित किया जा सकता है।

हैदराबाद अधिनियम सं। 1951 का XXIII

आईएनएएमएस अधिनियम

1. (1) इस अधिनियम को आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 कहा जा सकता है।

(2) यह आंध्र प्रदेश राज्य के पूरे तेलंगाना क्षेत्र तक फैला हुआ है और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में परिभाषित सभी इनामों पर लागू होगा।

(3) (क) यह धारा, धारा 2, धारा 3, उप-धारा (2) के खंड (घ), (छ), (छ) और (i), धारा 30 से 34 (दोनों सहित), धारा 35 को छोड़कर, उस सीमा तक जिसके लिए यह नियम बनाने को सक्षम बनाता है।

उपरोक्त धाराओं, धारा 36 और धारा 37 के उद्देश्य सरकारी राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(ख) इस अधिनियम का शेष भाग उस तारीख को लागू होगा जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो

या संदर्भ

XXX

XXX

XXX

(ग) 'इनाम' से निजाम या किसी जागीरदार, संस्थान के धारक या अन्य सक्षम अनुदानकर्ता द्वारा दिए गए उपहार या अनुदान के तहत रखी गई भूमि अभिप्रेत है और इसे मुंतखाब के आधार पर जारी या पुष्टि की गई है या

अन्य स्वामित्व विलेख, सेवा की शर्त के साथ या उसके बिना और उस पर भूमि राजस्व के पूरे या हिस्से की माफी के साथ और गाँव के अभिलेखों में दर्ज किया गया है और इसमें शामिल हैं

(i) अराज़ी मखता, अराज़ी अग्रहार और सेरी इनाम; और [2021] 14 एस. सी. आर.

((ii) लंबे समय तक कब्जे के कारण इनाम के रूप में रखी गई भूमि और गाँव के अभिलेखों में इनाम के रूप में दर्ज की गई भूमिः

बशर्ते कि पूर्व जागीर क्षेत्रों के संबंध में, अभिव्यक्ति

इनाम में ऐसी भूमि शामिल नहीं होगी जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है

जागीरों के उन्मूलन के बाद सरकार द्वारा इनाम।

XXX

XXX

XXX

(जे) 'संरक्षित किरायेदार' का अर्थ है तेलंगाना किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 में परिभाषित संरक्षित किरायेदार।

XXX

XXX

XXX

3. (1) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

उपयोग, निपटान, अनुबंध, अनुदान, सनद, आदेश या अन्य साधन, अधिनियम, विनियमन, नियम या व्यवस्था जो कानून के बल पर हो और किसी सिविल, राजस्व के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद

या अतियत न्यायालय, और निहित करने की तारीख से प्रभावी, सभी इनाम समाप्त किए गए माने जाएंगे और राज्य में निहित होंगे। (2) इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या उनके तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर और निहित होने की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित

परिणाम सामने आएंगे, अर्थात्:

(क) इनामों से संबंधित तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसली के प्रावधान और तेलंगाना अतियत के प्रावधान।

अतियत अनुदान के संबंध में पूछताछ अधिनियम, 1952 और अन्य अधिनियम, नियम, विनियम और परिपत्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए, इस हद तक प्रतिकूल हैं, लागू नहीं होंगे और तेलंगाना

भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसली के प्रावधान, भूमि राजस्व के उद्देश्यों के लिए असंबद्ध भूमि से संबंधित, उक्त इनामों पर लागू होंगे;

इनम भूमि के संबंध में, इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत स्पष्ट रूप से सहेजे गए ब्याज के अलावा और सभी सांप्रदायिक भूमि, खेती और बिना खेती वाली भूमि (चाहे मूल्यांकन किया गया या नहीं), बंजर भूमि, चरागाह भूमि, वन, खान और खनिज, खदान, नदियाँ और धाराएँ, तालाब और सिंचाई कार्य, थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

मत्स्य पालन और नौकाएँ बंद हो जाएंगी और सभी बाधाओं से मुक्त राज्य में पूरी तरह से निहित हो जाएंगी।

XXX

XXX

XXX

(ज) इनाम भूमि के संबंध में संबंध इनामदार और कबीज़-ए-कदीम, स्थायी किरायेदार, संरक्षित किरायेदार या गैर-संरक्षित किरायेदार को बुझा दिया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

4. (1) प्रत्येक इनामदार, निहित करने की तारीख से, इसके अलावा अन्य सभी इनाम भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। (क) ग्राम समुदाय के लिए अलग की गई भूमि, चराने की भूमि; बंजर भूमि, वन भूमि, खानें और खदानें; तालाब, तालाब और सिंचाई कार्य, धाराएं और नदियाँ;

(ख) ऐसी भूमि जिसके संबंध में कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 5,6,7 और 8 के तहत पंजीकृत होने का हकदार है;

(ग) जिन भूमि पर इनामदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली इमारतें खड़ी की गई हैं;

जो निहित होने की तारीख से ठीक पहले, उनकी व्यक्तिगत खेती के तहत थी और जो, किसी भी भूमि के साथ जो वे अलग से स्वामित्व रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से खेती करते हैं, 'परिवार की हिस्सेदारी' के साढ़े चार गुना के बराबर है।

XXX

XXX

XXX

7. (1) प्रत्येक संरक्षित किरायेदार, की तारीख से प्रभावी होगा

निहित होने पर, धारा 4 के तहत आवंटन के बाद उसके कब्जे में बची हुई ऐसी इनाम भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा, जो उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत थी और जो किसी भी भूमि के साथ अलग से उसका स्वामित्व और खेती करती है। व्यक्तिगत रूप से, 'परिवार की हिस्सेदारी' के साढ़े चार गुना के बराबर हैं।

(2) संरक्षित किरायेदार सरकार से मुआवजे का हकदार होगा जैसा कि इस अधिनियम के तहत उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अपने कब्जे में इनाम भूमि के संबंध में प्रावधान किया गया है, चाहे वह खेती की गई हो या नहीं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि

(क) वह ऐसी इनाम भूमि का किरायेदार तब तक बना रहा जब तक कि

निहित करने की तिथि; या

(ख) यदि वह कब्जे में नहीं है, तो वह गैरकानूनी है।

10 तारीख के बीच इनामदार द्वारा ऐसी भूमि को बेदखल कर दिया गया

जून, 1950 और निहित करने की तिथि। (3) कोई भी संरक्षित किरायेदार उप-धारा (1) के तहत एक निवासी के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह सरकार को सूखी भूमि के लिए भूमि राजस्व के चालीस गुना और गीली भूमि के लिए तेरह गुना के बराबर राशि का भुगतान नहीं करता है। प्रीमियम की राशि

वार्षिक भूमि राजस्व के साथ दस से अधिक वार्षिक किश्तों में देय नहीं होगा और इस तरह के भुगतान की चूक में उस भूमि पर भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी जिसके संबंध में यह देय है।

बशर्ते कि संरक्षित किरायेदार जो एक गरीब व्यक्ति हो

सरकार को किसी भी प्रीमियम के भुगतान के बिना, उप-धारा (1) के तहत एक निवासी के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

XXX

XXX

XXX

10. कलेक्टर उन सभी भूमि की प्रकृति और इतिहास की जांच करेगा जिनके संबंध में एक इनामदार, कबीज़-ए-कदीम, स्थायी किरायेदार, संरक्षित किरायेदार या गैर-संरक्षित किरायेदार, जैसा भी मामला हो, धारा 4,5,6,7 और 8 के तहत एक निवासी के रूप में पंजीकृत होने का दावा करता है और निर्णय लेता है

((क) जिसके पक्ष में, और जिसके संबंध में इनाम आता है, दावों की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) भूमि राजस्व और देय प्रीमियम

ऐसी भूमि।

XXX

XXX

XXX

33. इस अधिनियम की कोई भी बात किसी भी तरह से तेलंगाना किरायेदारी के प्रावधानों के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 किसी भी इनाम या इनामदार और उसके किरायेदारों के आपसी अधिकारों और दायित्वों के लिए, जहाँ तक थोटा श्रीधर रेड्डी और ओ. आर. एस. को छोड़कर।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

कहा गया प्रावधान किसी भी तरह से एक्सप्रेस के साथ असंगत हैं

इस अधिनियम के प्रावधान "।

उक्त प्रारम्भ में कहा गया है कि वह धारा 36 के अनुसार कब्जा खोने से पहले उन नियमों और शर्तों पर भूमि पर कब्जा करने के लिए तैयार है, जिन पर उसने कब्जा किया था। इसके अलावा, धारा 38 गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जिसमें यह विचार किया गया है कि एक संरक्षित किरायेदार के बाद किसी भी समय हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1954 की शुरुआत, भूमि-धारक द्वारा संरक्षित किरायेदार के रूप में धारण की गई भूमि में भूमि-धारक के हित को खरीदने का हकदार होगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि किसी संरक्षित किरायेदार द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में, संबंधित मकान मालिक बिना कोई अधिकार प्राप्त किए भूमि में अपना हित छोड़ने का इरादा रखता है।

विचार करते हुए, न्यायाधिकरण ऐसे संरक्षित किरायेदार को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा

जैसा कि धारा 38 की उप-धारा (6) में दिया गया है (धारा 38-बी देखें)। इसके अलावा, धारा 38-डी के संदर्भ में, यदि मकान मालिक किसी भी समय संरक्षित किरायेदार द्वारा धारण की गई भूमि को बेचने का इरादा रखता है, तो वह ऐसे संरक्षित किरायेदार को अपने इरादे की लिखित सूचना देगा और उसे भूमि बेचने का प्रस्ताव देगा। संरक्षित किरायेदार को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर भूमि खरीदने के अपने इरादे से अवगत कराना है।

10. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्तुत किया कि अधिभोग अधिकार प्रदान करने के खिलाफ एक अपील

09.02.1982 पर संरक्षित किरायेदार द्वारा 18.03.1987 पर दाखिल किया गया था। इस तरह की अपील अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई 30 दिनों की अवधि से परे थी। उक्त अपील को बाद में 14.02.1989 पर वापस ले लिया गया। रिलायंस को इस न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया है जिसे बोड्डुम नरसिम्हा बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। हसन

अली खान और अन्य, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 38 का लाभ 5
(2007) 11 एस. सी. सी. 410 [2021] 14 एस. सी. आर.

ई उन व्यक्तियों को दिया जाना है जिनके पास संरक्षित किरायेदारों के रूप में भूमि है और जिनके पास 1.1.1973 पर भूमि बनी हुई है।

11. आगे यह तर्क दिया गया कि खरीदारों ने इनाम अधिनियम द्वारा शासित इनाम भूमि खरीदी थी। यह भी तर्क दिया गया कि अधिकार

किरायेदारी अधिनियम के तहत संरक्षित किरायेदार एस. रंगैया और अन्य मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 33 के आधार पर इनाम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। वी. कलेक्टर मेडक & Ors.6। यह भी तर्क दिया गया कि इनाम अधिनियम इनामदार के अधिकार को मान्यता देता है और किरायेदार को भूमि में अपने अधिकार और हित को बेचने/अलग करने के लिए संरक्षित करता है। रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर निर्भरता थी

एस. वीरा रेड्डी बनाम चेतलापल्ली चंदैयाहा 'और भीमवरपु वेंकैया और अन्र। वी. आर. डी. ओ. 3, एस. नरसिम्हा और अन्य। वी. संयुक्त कलेक्टर द्वितीय, रंगा रेड्डी जिला '। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि बार के तहत

भाटक अधिनियम की धारा 47 (निरस्त होने के बाद से) के संदर्भ में उप-विभाजन या उप-पट्टा और अलगाव को प्रतिबंधित करने वाली धारा 30 इनाम अधिनियम की दृष्टि से लागू नहीं होती है।

12. प्रधान संरक्षित किरायेदार के बेटे येत्तैया के साथ-साथ संरक्षित किरायेदार की पत्नी द्वारा दायर हलफनामों का भी संदर्भ दिया गया था।

उचित जांच के बाद और मूल संरक्षित के उत्तराधिकारियों को सुनने के बाद किरायेदार।

13. श्री डेव ने मंडल राजस्व अधिकारी के समक्ष अधिभोग अधिकार देने के खिलाफ दायर एक अपील पर भरोसा किया जिसमें बयान दिए गए थे।

पक्षकारों और उनके द्वारा किए गए समझौते को दर्ज किया गया। इस अपील को बाद में संरक्षित किरायेदार द्वारा 14.02.1989 पर वापस ले लिया गया था। 14. इसके अलावा, किरायेदारी अधिनियम की धारा 32 के तहत मंडल राजस्व अधिकारी, कुतुबुल्लापुर, मेडचल जिले के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया

अधिकार की बहाली की मांग को संदर्भित किया गया था लेकिन यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के आवेदन की लंबितता का खुलासा नहीं किया गया था

6 1996 एससीसी ऑनलाइन एपी 275 7 1 1994 एससीसी ऑनलाइन एपी 510 8 (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 896 9 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 57 थोटा श्रीधर रेड्डी और ओ. आर. एस.

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इस न्यायालय के एक फैसले पर संदर्भ दिया गया है जिसे जय नारायण परसरामपुरिया बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। पुष्पादेवी सराफ 1 0.

15. विद्वान वकील श्री वी. गिरि ने एक अन्य अपील में कहा कि संरक्षित किरायेदार की तीन पीढ़ियों ने लेनदेन में भाग लिया

16. यह आगे तर्क दिया गया कि संरक्षित किरायेदार का तर्क कि वे अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र के बारे में जागरूक हो गए वर्ष 2015 एक स्पष्ट चाँदनी बचाव था और उनके द्वारा 33 वर्षों की देरी ने विषय संपत्ति के खिलाफ स्वामित्व के दावे को हरा दिया। रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था। वी. मंजीत कौर और अन्य अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देने के लिए कि अपीलकर्ता खरीद की तारीख से ही कब्जे में हैं, इसलिए उन्होंने अपने कब्जे को स्वामित्व में पूर्ण कर लिया है। सिविल अपील सं. में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य आदेश। 4367-4372 2016 का शीर्षक जगदीश बनाम। कर्नाटक राज्य ने निर्णय लिया कि 29.08.2019 को संदर्भित किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (निषेध) के तहत निर्धारित सीमा की कोई अवधि नहीं है

कुछ भूमि हस्तांतरण) अधिनियम, 1978, लेकिन इस तरह के अधिकार का उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसी तरह का विचार उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा वोरला रामचंद्र रेड्डी और अन्न मामले में लिया गया है। वी. संयुक्त कलेक्टर I और Ors.¹2, जिस पर निर्भरता रखी गई है

इस न्यायालय के निर्णय को पोन्नला नरसिंह राव बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। नल्लोला पंतैया 1 3. इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अधिभोग प्रमाण पत्र के अनुदान को चुनौती उचित समय के भीतर नहीं दी गई थी, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की ओर से भारी देरी और निष्क्रियता के बाद व्यवसाय अधिकार प्रमाण पत्र की वैधता पर विवाद करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कानून में गलती की थी।

0 (2006) 7 एस. सी. सी. 756

11 (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 975

12 2021 एससीसी ऑनलाइन टीएस 703 13 3 (1998) 9 एससीसी 183

17. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने भी एकल पर भरोसा किया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ के निर्णयों को जुपुडी भूषणम बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। संयुक्त कलेक्टर, खम्मम और Ors.[1]4, कासा मुथन्ना और एक अन्य v. सुंके राजन्ना और 11 Ors.[1]5 यह तर्क दिया गया था

कि सदा बनाम में निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता। तहसीलदार 1 को गलत समझा गया है क्योंकि उस मामले में, धारा 24 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि का उल्लंघन सवाल नहीं था, न ही इनाम अधिनियम और किरायेदारी अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया की जांच की गई थी। यहां तक कि बी. बाल रेड्डी बनाम में इस न्यायालय का निर्णय भी। तीगला नारायण रेड्डी "वर्तमान तथ्यों में लागू नहीं होगा।

मामला।

18. इसलिए यह तर्क दिया गया कि संयुक्त कलेक्टर ने अपने दिनांकित 4.12.2017 के आदेश में सही निर्णय दिया है कि धारा 38-E प्रमाण पत्र मूल असंशोधित संरक्षित किरायेदारी रजिस्टर के कारण एक गलत धारणा के तहत संरक्षित किरायेदार के पक्ष में दिया गया था। इसके अलावा, धारा 38-ई के तहत प्रमाण पत्र के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए

जमीन का मालिक। चूंकि कोई मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए अंतिम निहित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, धारा 38-ई प्रमाण पत्र से पहले और उसके बाद संरक्षित किरायेदार का आचरण दर्शाता है कि

उचित कानूनी प्रक्रिया के आलोक में प्रमाणपत्र ने कभी भी कानूनी अंतिमता प्राप्त नहीं की। 19. यह अनुमान लगाया गया था कि खरीदार के हित में पूर्ववर्ती का अधिकार 01.11.1973 पर था जो उसे अधिभोग के अधिकारों का हकदार बनाता था।

इनाम अधिनियम के तहत। पूर्ववर्ती का नाम भी 1982 के आदेश में राजस्व मंडल अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर द्वारा दर्ज किया गया था जिन्होंने 2017 में आदेश पारित किया था।

20. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा संरक्षित किरायेदारों के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि खरीदार की प्राथमिक आपत्ति पहला, वर्ष 1989 में संरक्षित किरायेदारों द्वारा अपील का निपटान और परिणामस्वरूप वापसी और दूसरा, वर्ष 2015 में अपील दायर करने में देरी थी। यह तर्क दिया गया था कि किरायेदारी अधिनियम और इनाम अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि भूमि का जोतने वाला मालिक होगा। किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य हितों को सुरक्षित करना है

किरायेदारों को अपने अधिकारों को सीधे त्यागने से रोकें या

अप्रत्यक्ष रूप से। संरक्षित किरायेदार की अपनी किरायेदारी छोड़ने की स्वतंत्रता

15 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन हाइड 592 1 6 (1987) 2 एपीएलजे 397

17 (2016) 15 एस. सी. सी. 102 थोटा श्रीधर रेड्डी और ओ. आर. एस. वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

कानून द्वारा अधिकार प्रतिबंधित हैं क्योंकि इस तरह का समर्पण केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही हो सकता है। वर्तमान मामले में, खरीदार ने वर्ष 1954 में किरायेदारी अधिकारों के मौखिक समर्पण और वर्ष 1957 में उसकी बाद की बिक्री पर भरोसा किया है। ये दोनों कार्य कानून में निषिद्ध हैं क्योंकि समर्पण लिखित रूप में होना चाहिए और किरायेदार द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के साथ पठित धारा 38-ई (5) के संदर्भ में तहसीलदार की संतुष्टि के अधीन सद्भावना से स्वीकार किया जाना है। किरायेदारी अधिकारों के समर्पण के दोनों उदाहरण

1954 में मौखिक रूप से और 1957 में लिखित रूप में, संरक्षित किरायेदार को दिए गए वैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करता है। किरायेदारी अधिनियम लागू किया गया है

भूमि मालिकों के शोषण से किरायेदारों की रक्षा करें, इसलिए कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। कानून ने किरायेदारी के समर्पण का एक तरीका निर्धारित किया है और आत्मसमर्पण करने से पहले अकेले इस तरह के तरीके का सहारा लिया जा सकता है। बाद की कार्यवाही कथित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण को सही ठहराने के लिए थी। कोटा और अन्न पर निर्भरता रखी गई है। वी. बैपटिस्ट चर्चों का संपत्ति संगठन (पी) Ltd.[1], एडुकान्ति किस्टम्मा (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। वी. एस. वेंकटारेड्डी (मृत) एल. आर. और बी. बाल रेड्डी के माध्यम से। 21. गुण-दोष पर यह तर्क दिया गया कि खरीदारों ने संयुक्त कलेक्टर के समक्ष या उससे पहले दायर की जा रही अपील के तथ्य का खुलासा नहीं किया था

अधिनियम विशेष रूप से प्रदान करता है कि इनाम अधिनियम किरायेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम और किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 38-ई (1) और धारा 19 के साथ पठित उप-धारा 5 को प्रबल प्रभाव दिया गया है।

18 (1989) 3 एससीसी 424 9 (2010) 1 एससीसी 756 [2021] 14 एस. सी. आर.

इनाम अधिनियम के अधिनियमन के बाद। इस प्रकार, ऐसे प्रावधान प्रबल होंगे।

इनाम अधिनियम पर। वर्ष 1971 में प्रतिस्थापित किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई (1) ने किसी भी अन्य कानून पर अध्याय IV को प्रबल प्रभाव दिया था जिसमें इनाम अधिनियम भी शामिल होगा।

22. यह तर्क कि संरक्षित किरायेदार ने भूमि मालिक को देय बिक्री प्रतिफल जमा नहीं किया है, महत्वहीन है क्योंकि यह है

भूमि स्वामी जिसे किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई (3) के संदर्भ में न्यायाधिकरण में आवेदन के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन करना था। इसके अलावा, किरायेदारी अधिनियम की धारा 38 उप-धारा (4) से (8) के साथ पठित धारा 38-ई के संदर्भ में बिक्री प्रतिफल का भुगतान कलेक्टर द्वारा की जाने वाली जिम्मेदारी थी। इसलिए, भूमि मालिक या राजस्व अधिकारियों की देय मुआवजे का आकलन करने में विफलता

संरक्षित किरायेदार को भूमि खरीदने के लिए दिया गया था। इसलिए, धारा 38-डी के संदर्भ में, खरीदारों के पक्ष में बिक्री स्वयं किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-डी में निहित निषेध का उल्लंघन है। 23. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि धारा 38-ई के तहत जारी स्वामित्व प्रमाणपत्र को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति से पहले चुनौती नहीं दी गई है।

प्राधिकरण। इसलिए, संरक्षित किरायेदार के संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण पूरा हो जाता है। सबसे अच्छा, भूमि मालिक संरक्षित किरायेदार से अवैतनिक, अनिर्धारित बिक्री मूल्य का दावा कर सकता है लेकिन स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण निरपेक्ष होगा। रिलायंस को एडुकान्ति किस्तम्मा में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है और उच्च न्यायालय के फैसले को सदा के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

24. यह तर्क दिया गया कि संरक्षित किरायेदार को बिना किसी सूचना के खरीदारों को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस तरह

स्वामित्व अधिकार होने के बाद प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा।

संरक्षित किरायेदार को प्रदान किया गया। 1979 में मंडला येत्तैया और गोवरम्मा के अधिकारों को त्यागने वाले शपथ पत्र दिनांकित, अहस्ताक्षरित और किसी भी मामले में अप्रभावी हैं क्योंकि तहसीलदार द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 38-ई (5) के तहत किरायेदारी अधिकारों के समर्पण के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए, थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस का ज्ञान।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

खरीदारों को अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र का अनुदान नहीं दिया जा सकता है

उत्तरदाताओं को जिम्मेदार ठहराया गया और इस प्रकार वर्ष 2015 में विवादित हो सकता है जब इस तरह के प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी कुछ संरक्षित किरायेदारों के ध्यान में आई। यह किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर संरक्षित किरायेदार द्वारा अधिकार का दावा था। इस प्रकार, खरीदारों द्वारा प्राप्त अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र शून्य, शुरू से ही शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना था।

25. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इससे पहले कि हम मामले के तथ्यों की जांच करें, कानून के कुछ सिद्धांतों को बताए जाने की आवश्यकता है।

26. सदा में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ

किरायेदारी अधिनियम का पूरा विधायी इतिहास देकर विचार के लिए 9 बिंदु तैयार करके किरायेदारी अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। उच्च न्यायालय ने बिंदु संख्या पर निर्णय दिया। 2 और 4 पूर्व निर्धारित अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक निम्नानुसार हैः

" (1) 'संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित भूमि' शब्दों का क्या अर्थ है और क्या एक संरक्षित किरायेदार को संपत्ति का मालिक बनने और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 38 ई (1) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख को भौतिक कब्जे में होना चाहिए।

प्रमाणपत्र?

4) क्या 1979 के अधिनियम 2 द्वारा जोड़ी गई धारा 38 ई (2) का नया परंतुक पूर्वव्यापी है और कब्जे की बहाली की अनुमति देता है जहां स्वामित्व प्रमाण पत्र 11-1-1979 से पहले जारी किया गया है।

1979 का अधिनियम 2 कब से लागू हुआ है?

" 27. हमारे विचार में, भूमि धारकों के लिए यह तर्क कि जब तक धारा 38-ई (1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख को संरक्षित किरायेदार भौतिक कब्जे में नहीं है, वह स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, मान्य नहीं है। धारा 38-ई (1) के संबंध में एक स्पष्ट जानकारी से पता चलता है कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी तारीख निर्दिष्ट की जाए, संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित सभी भूमि का स्वामित्व घोषित कर सकती है, जो वे हैं। ऐसे क्षेत्र में अपने भूस्वामियों से खरीदने का हकदार, धारा के अधीन होगा। 38 (7) , उन्हें धारण करने वाले संरक्षित किरायेदार को हस्तांतरित किया जाता है और निहित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क़ानून में 'ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित' नहीं कहा गया है।

विधायिका चाहती थी कि भूमि किसी भी निर्दिष्ट तिथि पर रखी जानी चाहिए, जिसे उसने उस अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था।

XX

XX

XX

29. धारा 38-ई से यह स्पष्ट है कि यह उन संरक्षित किरायेदारों के लिए है जिन्हें अंततः संरक्षित किरायेदार घोषित किया जाता है और जिन्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल किया जाता है, जिनके लिए संरक्षित किरायेदारी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, कि स्वामित्व अधिकारों की परिकल्पना की गई है। धारा 33-ई (1) में, निश्चित रूप से, धारा 38 (7) में निर्दिष्ट जोतों की सीमा के संबंध में और

या धारा 34 में उल्लिखित अवधियों के लिए। 37 और 37-ए और उन में आवश्यक तिथियों पर भौतिक कब्जे की आवश्यकता धाराओं को संतुष्ट किया जाता है, ऐसे व्यक्ति संरक्षित किरायेदार बन गए हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति संरक्षित किरायेदार बन जाता है, तो वह कानून के बल पर मालिक बनने की योग्यता अर्जित करता है, जो निश्चित रूप से धारा 38 (7) में सीमा और धारा 38-ई (1) के परंतुक के संबंध में योग्यता के अधीन है। अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एस में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि पर भी कब्जे में होना चाहिए।

38 - ई (1)। 'संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित सभी भूमि' शब्द उन भूमि का अधिक वर्णन है जिनके संबंध में 'संरक्षित किरायेदार' के रूप में अधिकार घोषित किया गया है और अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि पर भौतिक कब्जे की आवश्यकता वाले शब्द नहीं हैं।

XX

XX

XX

31. एक व्यक्ति भूमि को संरक्षित किरायेदार के रूप में 'धारण' करता है यदि वह कठोर है

' अधिसूचित तिथि पर 'संरक्षित किरायेदार', हालांकि कब्जे से बाहर। जब तक संरक्षित किरायेदार के रूप में उसका अधिकार निर्धारित नहीं किया गया है

अधिसूचना की तारीख तक ज्ञात तरीके से 10 अधिनियम, वह भूमि अक्ष संरक्षित किरायेदार को 'धारण' करता है, चाहे भौतिक रूप से

कब्जा हो या न हो, हम समर्पण के संदर्भ में बिंदु 7 के तहत इसे फिर से समझायेंगे।

XX

XX

XX

36. उपरोक्त सभी कारणों से हम बिंदु संख्या 1 पर यह मानते हैं कि धारा 38-ई (1) के तहत एक संरक्षित किरायेदार द्वारा 'धारित' भूमि के स्वामित्व को बांधने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि संरक्षित किरायेदार अधिसूचना की तारीख को भौतिक कब्जे में रहा हो, यह पर्याप्त है यदि वह 'संरक्षित थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस' का दर्जा बनाए रखता है।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

अधिसूचित तिथि पर 'किरायेदार' भले ही भौतिक कब्जे में न हो और उन्होंने अधिनियम की धारा 32 (7) की आवश्यकताओं को पूरा किया। यह धारा 38-ई (1) के प्रावधान के अधीन भी है।

XX

XX

XX

55. बिंदु संख्या 4 मुद्दा यह है कि क्या 1979 के अधिनियम 2 द्वारा जोड़ी गई धारा 38 ई (2) का नया परंतुक पूर्वव्यापी है और कब्जे की बहाली की अनुमति देता है जहां स्वामित्व प्रमाण पत्र पहले जारी किया गया है।

11-1-1979 जब अधिनियम 2/79 लागू हो गया हो।

56. अब धारा 38-ई (2) के लिए नया परंतुक अधिनियम 2/1979 द्वारा निर्णय द्वारा उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पेश किया गया था।

नरसैया के मामले (1) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार संरक्षित किरायेदार मालिक बन जाने के बाद, अधिनियम में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो उसे कब्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाता हो। यह इंगित किया गया था कि धारा 38 ई (1) के स्पष्टीकरण के उत्तरार्ध में तहसीलदार के माध्यम से कब्जा प्राप्त करने के लिए एक 'संरक्षित किरायेदार' को सक्षम करने का प्रावधान नहीं था।

मालिक द्वारा आवेदन के मामले में लागू, भले ही यह एक संरक्षित किरायेदार के मालिक बनने का मामला हो।

57. हमारे विचार में, विधानमंडल नरसैया के मामले द्वारा उत्पन्न कठिनाई को भरना चाहता था जब उसने धारा 38-ई (2) में नया परंतुक जोड़ा जिससे तहसीलदार को एक पूर्व संरक्षित किरायेदार को कब्जा बहाल करने में सक्षम बनाया जा सके जो मालिक बन गया था।

XX

XX

XX

59. तब यह तर्क दिया जाता है कि धारा 38-ई (2) के नए परंतुक में "स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया है" शब्द से पता चलता है कि संशोधन उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां स्वामित्व प्रमाण पत्र 11-1-1979 से पहले जारी किया गया है। यह व्याख्या सही नहीं है। हम चेन्नैया के मामले में दिए गए कारणों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि इन शब्दों को इतना सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। बिन्दु संख्या 4 तदनुसार तय किया जाता है।

XX

XX

XX

66. धारा 38-ई (1) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित किरायेदार को ऐसा नहीं करना चाहिए

धारा 38-ई (1) के तहत अधिसूचना की तारीख तक अपने किरायेदारी अधिकार को वैध रूप से समर्पण कर दिया है। लेकिन अगर उसने स्वेच्छा से आई. डी. 1 (1954 के संशोधन की तारीख) से पहले अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया था और भूमि धारक को कब्जे में ले लिया था, तो वह [2021] 14 एस. सी. आर. के हस्तक्षेप के बिना हो।

तहसीलदार, वह अधिसूचना जारी होने पर धारा 38 ई (1) के तहत स्वामित्व के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सके। इसी तरह, यदि समर्पण 4-2-1954 के बाद और S के तहत अधिसूचना की तारीख से पहले था।

38 - ई (1) और इस तरह के समर्पण ने धारा की आवश्यकताओं को पूरा किया। 19 और एक वैध समर्पण था, संरक्षित किरायेदार स्वामित्व अधिकारों का दावा नहीं कर सकता था। तथापि, यदि कोई वैध समर्पण नहीं था, चाहे पहले (स्वेच्छा से नहीं बल्कि जबरन), या बाद में (धारा 19 के अनुरूप नहीं होने के कारण), संरक्षित किरायेदार को धारा 32 के तहत कब्जा में वापस रखने का अधिकार था जैसा कि वेंकन्ना बनाम में कहा गया है। बुकम्मा (12) और ऐसे संरक्षित किरायेदार, (यदि उन्होंने अन्यथा एस. एस. के तहत अपना दर्जा नहीं खोया होता। 32 या 44 अधिसूचित तिथि तक) होगा

धारा 38 ई (1) के तहत स्वामित्व अधिकारों का हकदार होगा और धारा 38 ई (2) के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र का हकदार होगा। ऐसे मामलों में जहां अधिसूचना की तारीख को धारा 19 के तहत कार्यवाही लंबित है।

और इसके बाद संरक्षित किरायेदार के पक्ष में समाप्त होता है, निहित करने की तारीख उक्त निर्णय तक स्थगित कर दी जाती है। प्वाइंट नंबर 7 तय किया गया है।

तदनुसार "।

27. कोटैया में, इस अदालत ने कहा कि संरक्षित किरायेदार को मकान मालिक या किसी और द्वारा अवैध रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता है। धारा 38-डी भूमि धारक को किराए पर ली गई भूमि को तीसरे पक्ष को देने से रोकती है। यदि भूमि धारक किराए पर ली गई भूमि को बेचने का इरादा रखता है, तो उसे एक e संरक्षित किरायेदार को इस तरह के इरादे के बारे में लिखित रूप में। यह निष्कर्ष निकाला गया

देरः

" 22. संक्षेप में,

(i) संरक्षित किरायेदार को इसका पूर्ण मालिक बनने का अधिकार है।

उसके कब्जे में भूमि। वह मालिक बन जाता है जब

सरकार धारा 38-ई के तहत एक अधिसूचना जारी करती है। हमें बताया गया है कि सरकार ने 1-10-1973 पर उस जिले के संबंध में ऐसी अधिसूचना जारी की थी, जहां विचाराधीन भूमि स्थित है। एसोसिएशन द्वारा अपीलार्थियों की किरायेदारी को समाप्त करने से लगभग तीन साल पहले की बात थी। यदि अपीलार्थियों को किरायेदार भूमि का मालिक बनने का अधिकार था, तो उनकी भूमि को समाप्त करने का प्रश्न था।

किरायेदारी नहीं आएगी। ((ii) संरक्षित किरायेदार को मकान मालिक या किसी और द्वारा अवैध रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि इस प्रकार बेदखल किया जाता है, तो तहसीलदार को या तो स्वतः या आवेदन पर एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिए, और

निर्देश दें कि भूमि को संरक्षित किरायेदार को बहाल किया जाए। वह यह है कि

धारा 38-ई का अधिदेश और उसका स्पष्टीकरण।

थोटा श्रीधर रेड्डी और हमारा। वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

((iii) भूमिधारक स्वयं संरक्षित किरायेदार को बेदखल नहीं कर सकता है, भले ही कानून के अनुसार किरायेदारी समाप्त कर दी गई हो। मकान मालिक को धारा 32 का सहारा लेना होगा। उसे जांच करने और ऐसा आदेश पारित करने के लिए तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए जो उसे उचित लगे।

(iv) धारा 38-डी भूमि धारक को किराए पर ली गई भूमि को तीसरे पक्ष को देने से रोकती है। यदि भूमिधारक भूमि को बेचने का इरादा रखता है, तो उसे संरक्षित किरायेदार को अपने इरादे की लिखित सूचना देनी चाहिए। पहला प्रस्ताव संरक्षित किरायेदार को दिया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब संरक्षित किरायेदार अधिकार का प्रयोग नहीं करता है

खरीदते समय, भूमिधारक भूमि को तीसरे पक्ष को बेच सकता था। इन प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अलगाव का कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रभाव "।

28. एडुकान्ति किस्तम्मा में, अपीलार्थी संरक्षित थे।

उन्हें एन. सी. आई. अधिनियम की धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किरायेदारी के समर्पण के प्रतिवादियों के रुख को अमान्य पाया गया। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि एक संरक्षित किरायेदार को भी एन. सी. आई. अधिनियम की धारा 38-ई के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि तक कब्जे में होना चाहिए। इस न्यायालय ने कोटैया के फैसले पर भरोसा किया और फैसला सुनाया

देरः

" 19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की योजना में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो एक संरक्षित किरायेदार है, उसे वैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि उसके किरायेदारों की खेती के तहत भूमि सहित भूमि का कुल क्षेत्र संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए एक परिवार के स्वामित्व क्षेत्र के तीन गुना से अधिक हो। अधिनियम के तहत लाभ का दावा करने के लिए व्यक्ति को 1950 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भूमि के वैध कब्जे में होना चाहिए। सरकार को किसी भी क्षेत्र के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके और उस तारीख से जो उसमें निर्दिष्ट की जाए, यह घोषणा करनी होगी कि अधिनियम की धारा 38 (7) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन, संरक्षित किरायेदारों द्वारा धारित सभी भूमि का स्वामित्व, जो वे अधिनियम के तहत ऐसे क्षेत्र में अपने भूमि धारकों से खरीदने के हकदार हैं, उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें ऐसे संरक्षित किरायेदारों में निहित कर दिया जाएगा और ऐसी तारीख से संरक्षित किरायेदारों को ऐसी भूमि का पूर्ण मालिक माना जाएगा।

20. धारा 38-ई (2) के तहत जारी प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि संरक्षित किरायेदार प्रमाण पत्र की तारीख से भूमि का मालिक बन गया है, जैसा कि भूमि धारक और उसमें कोई भी हित रखने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ है। में। यदि संरक्षित किरायेदार के पास भूमि का कब्जा नहीं है, तो उसे तहसीलदार के माध्यम से उक्त भूमि के कब्जे को बहाल करने का अधिकार है। संरक्षित किरायेदार को अवैध रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

1950 का अधिनियम। 21. किरायेदार को भूमि खरीदने का विकल्प दिए बिना किरायेदार की भूमि को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के भूमिधारक के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। 1950 के अधिनियम की धारा 47 (1969 के संशोधन द्वारा हटा दी गई) में प्रावधान किया गया है कि संरक्षित किरायेदार को छोड़कर ऐसी भूमि का कोई भी हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। संरक्षित किरायेदार 1950 के अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करके अपने अधिकारों का समर्पण कर सकता है। यदि ऐसी किसी आवश्यकता से कोई विचलन होता है, तो यह समर्पण को अप्रभावी और अप्रासंगिक बना देगा।

XXX

XXX

XXX

26. 1950 का अधिनियम लाभकारी कानून होने के कारण आवश्यक है

इस तरह के अभाव के पक्ष में। एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ एक लाभकारी कानून की व्याख्या उचित नहीं है। यदि कोई संदेह है, तो अदालत को लाभार्थियों के पक्ष में एक लाभकारी कानून की व्याख्या करनी चाहिए, न कि अन्यथा। यह विधायी इरादे के खिलाफ होगा। किसी कानून की व्याख्या के उद्देश्य से, अधिनियम को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए

उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों को लागू करना। अदालत को किसी भी ऐसे निर्माण के खिलाफ मजबूत होना चाहिए जो किसी क़ानून के प्रावधानों को कम करता है। उपयोगिता। कानून के प्रावधानों का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि इसे प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके और इसे विफल नहीं किया जा सके। अदालत का कर्तव्य है कि वह थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस का अर्थ निकाले।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देने और सेवा करने के लिए कानून

जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिनियमित किया गया है और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए

बहुत ही उद्देश्यपूर्ण।

X

XX

XXX

XXX

उसे अधिकार की बहाली के लिए आवेदन करने का अधिकार है यदि वह बेदखल कर दिया गया है। संरक्षित किरायेदार को पूछने का अधिकार है

एक अतिचारक के संक्षिप्त निष्कासन के लिए "।
29. बोड्डुम में इस न्यायालय ने एक पूर्ण पीठ के फैसले को मंजूरी दी

सदा में उच्च न्यायालय। बोड्डुम में, वर्ष 1998 में किरायेदारी अधिनियम की धारा 37-ए के तहत संरक्षित किरायेदारी का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। 16.12.1998 पर, पहली बार, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी को तीन साल के लिए वर्ष 1954-1955 के लिए खसरा पहाड़ी में खेती करने वाले किरायेदार के रूप में दर्शाया गया था। विक्रेता को अनुमति दिए जाने के बाद मालिक द्वारा 23.11.1959 पर उसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था।

किरायेदारी अधिनियम की धारा 47 और 48 के तहत। अपीलार्थी के चाचा बाला ने अपने जीवनकाल के दौरान संरक्षित किरायेदारी अधिकारों का दावा नहीं किया था क्योंकि वर्ष 1975 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने भी संरक्षित किरायेदारी का दावा नहीं किया। यह केवल 1998 में था जब संरक्षित किरायेदारी की मांग की गई थी और धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र की मांग की गई थी।

40 से अधिक वर्षों के बाद किरायेदारी अधिनियम का दावा किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“ 13. ..... एक व्यक्ति एक संरक्षित किरायेदार बन जाता है जब वह एक धारक होता है।

धारा 35,37 में उल्लिखित तिथियों या अवधियों के लिए और 37 - ए. एक बार जब कोई व्यक्ति संरक्षित किरायेदार बन जाता है, तो वह इसका हकदार होता है -

धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र। सदा में [ए. आई. आर. 1988

प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति भूमि को "धारण" करता है संरक्षित किरायेदार यदि वह अभी भी अधिसूचित पर एक संरक्षित किरायेदार है

के रूप में संरक्षित किरायेदार की तारीख से निर्धारित नहीं किया गया है अधिनियम को ज्ञात तरीके से अधिसूचना, वह भूमि को एक के रूप में रखता है

संरक्षित किरायेदार, चाहे वह भौतिक रूप से कब्जे में हो या नहीं। इसके लिए

एक संरक्षित किरायेदार द्वारा धारण की गई भूमि का स्वामित्व निहित करना

धारा 38-ई, यह आवश्यक नहीं है कि संरक्षित किरायेदार को

1-1-1973 पर भौतिक कब्जे में रहें। यह पर्याप्त है यदि [2021] 14 एस. सी. आर.

वह अधिसूचित तिथि पर एक संरक्षित किरायेदार का दर्जा बनाए रखता है, भले ही वह भौतिक कब्जे में न हो। यह अधिनियम न केवल मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों को विनियमित करता है, बल्कि सौदा भी करता है

कृषि भूमि के हस्तांतरण के साथ और इसमें भूमि धारक के हित को संरक्षित किरायेदारों को हस्तांतरित करना शामिल है। इसलिए, पट्टेदारी (स्वामित्व अधिकार) का अनुदान भी अधिनियम में मिलता है।

30. बाल रेड्डी के मामले में इस अदालत ने अनुमोदन के साथ सदा में पूर्ण पीठ के फैसले के साथ-साथ कोटैया में इस अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संरक्षित किरायेदारी को केवल कानून द्वारा ज्ञात तरीके से समाप्त किया जा सकता है। 'संरक्षित किरायेदारी' की ऐसी वैध समाप्ति के अभाव में, ऐसे संरक्षित किरायेदार का हित चालू रहता है और कानून में मौजूद रहता है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता है और

ऐसे प्रतिनिधि जो तब अधिकार की बहाली का दावा कर सकते थे। जैसा कि सदा में निर्धारित किया गया है, भले ही संरक्षित किरायेदार ने कब्जा खो दिया हो, एक संरक्षित किरायेदार के रूप में उसकी स्थिति की वैध समाप्ति के बिना, वह अभी भी अधिनियम के तहत सुरक्षा की सभी घटनाओं का हकदार होगा।

31. अब हम निर्धारित कानून और उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए पक्षों की संबंधित दलीलों की जांच करेंगे।

सदा जो पिछले 30 से अधिक वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इस संबंध में किरायेदारी अधिनियम के अध्याय IV में निहित अधिनियम की योजना

संरक्षित किरायेदार की संख्या किरायेदारी अधिनियम के अध्याय III द्वारा शासित किरायेदारों की तुलना में भौतिक रूप से अलग है। संरक्षित किरायेदारों को बहुत ऊँचे स्थान पर रखा जाता है क्योंकि भले ही किसी संरक्षित किरायेदार के पास भूमि का कब्जा न हो, उसे बाद में कब्जा लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, न तो धारा 19 और न ही धारा 32 संविधान के अध्याय 3 का हिस्सा है। किरायेदारी अधिनियम संरक्षित किरायेदार के संबंध में तब लागू होता है जब धारा 38-ई (5) के आधार पर धारा 19 के प्रावधानों का संदर्भ दिया जाता है जो धारा 38-ई में निहित किसी भी चीज़ को अधिस्थापक प्रभाव देने वाले गैर-अबाधित खंड से शुरू होता है। ऐसा खंड कलेक्टर को संरक्षित किरायेदार द्वारा दिए गए अधिकार के समर्पण की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश देता है। यह अभ्यास किरायेदारी अधिकारों के समर्पण से पहले किया जाना था और बाद में कृषि गतिविधियों के आधार पर जीवित रहने वाले किरायेदार के साथ असमान सौदेबाजी शक्ति के बल पर कई वर्षों के कथित आत्मसमर्पण के बाद नहीं।

32. खरीदारों ने वर्ष 1954 में किरायेदारी अधिकारों के मौखिक समर्पण पर और बाद में 5.2.1957 के एक लिखित दस्तावेज पर भरोसा किया। द.

वर्ष 1957 में दस्तावेज़ का निष्पादन स्पष्ट रूप से थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस को साबित करता है।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

यहाँ उत्तरदाताओं की संरक्षित किरायेदारी का तथ्य। इस तरह का समर्पण 1969 के आंध्र प्रदेश अधिनियम संख्या 12 द्वारा इसे हटाए जाने से पहले किरायेदारी अधिनियम की धारा 47 के विपरीत है और किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के साथ पठित धारा 38-ई (5) का उल्लंघन है।

33. एक संरक्षित किरायेदार धारा 36 के साथ-साथ किरायेदारी अधिनियम की धारा 44 के संदर्भ में कब्जे की वसूली का हकदार है जो इसे प्रतिबंधित करता है।

संरक्षित किरायेदारी की समाप्ति। किरायेदारी अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के प्रावधान में भूमि धारक पर फिर से शुरू करने के अधिकार का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि उसने उक्त अधिनियम के शुरू होने से अठारह महीने की अवधि के भीतर हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि के शुरू होने के संदर्भ में अपने अधिकार का प्रयोग करने या फिर से शुरू करने के लिए भूमि के आरक्षण की मांग नहीं की हो। (संशोधन) अधिनियम, 1955। उप-कलेक्टर को उक्त प्रावधान के संदर्भ में एक आवश्यक जांच करनी थी और एक प्रमाण पत्र जारी करना था कि भूमि इस प्रकार आरक्षित की गई है। इस प्रकार, भूमि धारक को संशोधन अधिनियम, 1955 के प्रारंभ के बाद किरायेदारी को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, सिवाय एक जांच के जो उप-कलेक्टर द्वारा की जानी थी। इस तरह का कोई आरक्षण नहीं किया गया था और न ही कोई जांच की गई थी, इसलिए संरक्षित किरायेदार के अधिकारों को पराजित नहीं किया जा सकता है।

35. धारा 38-ई में विचार किया गया है कि धारा 38-ई के तहत स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने पर, संरक्षित किरायेदारों को माना जाएगा। ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामी होना। इसके अलावा, धारा 38-ई (1) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि यदि किसी संरक्षित किरायेदार को धारा 32 में दिए गए तरीके और तहसीलदार के आदेश के अलावा अन्यथा बेदखल कर दिया गया है, तो किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, या राजस्व बोर्ड या न्यायाधिकरण के आदेश को अधिसूचना की तारीख को भूमि का अधिकार माना जाएगा। तहसीलदार या तो स्वतः संज्ञान लेने या संरक्षित किरायेदार द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए एक संक्षिप्त जांच करने और भूमि का प्रत्यक्ष अधिग्रहण करने के लिए बाध्य है [2021]

इसलिए, संरक्षित किरायेदार द्वारा किरायेदारी अधिकारों के समर्पण पर प्रतिबंध है और भले ही किरायेदारी समाप्त हो जाए, भूमि धारक है यदि वह किरायेदारी की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर भूमि पर खेती करने में विफल रहता है, तो किरायेदार को अधिकार बहाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

36. एक बार स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बाद, जिसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, भूमि हस्तांतरित हो जाती है और ऐसी भूमि के पूर्ण मालिक के रूप में संरक्षित किरायेदार में निहित हो जाती है। इस तरह का प्रमाण पत्र किरायेदारी अधिनियम के तहत भूमि मालिक के अधिकारों के अधीन अंतिम है जो केवल मुआवजे की मांग करने के लिए है।

37. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। एस. रंगैया कबीज़-ए-कदीम का मामला था, जिसका अर्थ है एक पुराना अधिभोगकर्ता, जो न तो किरायेदार है और न ही एक संरक्षित किरायेदार है। इस तरह के कबीज़-ए-कदीम दिए गए थे।

उत्तरदाताओं। वर्तमान मामला संरक्षित किरायेदार द्वारा या उसकी ओर से अधिकारों के हस्तांतरण का मामला नहीं है। पूरा तर्क मौखिक समर्पण और वर्ष 1989 में अपील दायर करने और वापस लेने और वर्ष 2015 में स्वामित्व प्रमाण पत्र के खिलाफ देर से अपील दायर करने के तथ्य पर आधारित है। अपील दायर करने और उसे वापस लेने का तथ्य पहली बार में खरीदारों द्वारा संयुक्त कलेक्टर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में नहीं उठाया गया था। चूँकि ऐसे दस्तावेज़ जल्द से जल्द प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और ऐसे दस्तावेज़ों की सत्यता संदेह से परे नहीं है, इसलिए खरीदारों को अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र के अनुदान के ज्ञान का कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यह अजीब बात है कि 14.2.1989 पर अपील वापस ले ली गई थी। लेकिन धारा 19 याचिका को 31.1.1989 पर अपील की कथित वापसी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 30 को देखते हुए संरक्षित किरायेदार के हित को वैध रूप से कानून में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

किरायेदारी अधिनियम।

थोटा श्रीधर रेड्डी और हमारा। वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

38. वर्तमान मामले में, किरायेदारी अधिकारों का समर्पण मंडल राजस्व अधिकारी के समक्ष 31.1.1989 पर है, जबकि परंतुक के अनुसार किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) के अनुसार, एक किरायेदार वर्ष की शुरुआत से कम से कम एक महीने पहले अपने अधिकारों का समर्पण कर सकता है और वह समर्पण किरायेदार द्वारा लिखित रूप में किया जाना है। इस तरह के समर्पण को उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष स्वीकार किया जाना है और अधिकार खुद को संतुष्ट करने के लिए है कि समर्पण सद्भावना से किया जाता है। वर्तमान मामले में, संरक्षित किरायेदार द्वारा मौखिक समर्पण वर्ष 1954 में स्थापित किया गया है। इस तरह के समर्पण के बाद वर्ष 1957 में किरायेदारी अधिकारों की बिक्री की गई। इसके बाद, किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 के तहत किरायेदारी अधिकारों की मंजूरी लेने के लिए याचिका दायर की गई थी, इस तरह के आवेदन को अधिभोग अधिकारों के अनुदान के खिलाफ अपील वापस लेने के आदेश के आधार पर वापस ले लिया गया था। इससे पता चलता है कि खरीदारों ने किरायेदारी अधिकारों का समर्पण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं, यह महसूस करते हुए कि इस तरह का समर्पण मौखिक रूप से या बिक्री विलेख को निष्पादित करके नहीं किया जा सकता है। यह खरीदार द्वारा शुरू किया गया एक कवर अप ऑपरेशन था, लेकिन यह अभी भी क़ानून के जनादेश के खिलाफ था क्योंकि समर्पण के निष्कर्ष को तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाना है। चूंकि, न तो मौखिक समर्पण और न ही लिखित में समर्पण को तहसीलदार द्वारा प्रामाणिक रूप से दर्ज किया गया था, इसलिए मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमोदित बाद में समर्पण एक अमान्य है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि इस तरह का समर्पण वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। संरक्षित किरायेदार को 23.3.1975 पर किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-E के तहत स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि अधिभोग अधिकार प्रदान करने की अनुमति वर्ष 1982 में इनाम अधिनियम के तहत दी गई थी।

संरक्षित किरायेदार। अपीलार्थियों ने अधिकार की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। यह एक ऐसा मामला भी था जिसमें वादी और प्रतिवादियों ने इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकारों के लिए आवेदन किया था। वास्तव में, धारा 38-ई को वर्ष 1971 में अपीलार्थियों द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद जोड़ा गया था। 40. भीमवरपु वेंकैया इनाम भूमि के हस्तांतरण का एक मामला है जिसमें अधिभोग अधिकारों का दावा किया गया था और मामले को भेजा गया था

राजस्व प्रभागीय अधिकारी अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए पहले याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करेगा। एस. नरसिम्हा भी एक [2021] 14 एस. सी. आर. थे।

अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने के दावे का मामला। लेकिन वहाँ है

एक संरक्षित किरायेदार के रूप में स्वामित्व अधिकारों के अनुदान और किरायेदारी अधिनियम या इनाम अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया का कोई दावा नहीं।

41. पोन्नला नरसिंह राव के मामले में इस अदालत के फैसले में, 1954 से पहले संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के मौखिक समर्पण के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 32 के तहत आवेदन

अनुचित देरी के बाद दायर किया गया था। इस तरह के फैसले का पालन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वोरला रामचंद्र रेड्डी में किया है।

42. हम यह नहीं पाते हैं कि ऐसे निर्णय अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहले, आवेदन को किरायेदारी अधिनियम की धारा 32 के तहत एक माना गया था। धारा 32 किरायेदारों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम के अध्याय III में आती है जबकि संरक्षित किरायेदारों के अधिकार अध्याय IV के तहत शासित होते हैं। धारा 32 किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई (1) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सीमित सीमा को छोड़कर लागू नहीं होती है। इसलिए, पोन्नला नरसिंह राव या वोर्ला में निर्णय

हालाँकि, यदि किरायेदारी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो कलेक्टर द्वारा इस तरह के समर्पण की वास्तविकता का पता लगाना आवश्यक है। 43. बोड्डुम नरसिम्हा में निर्णय श्री दवे द्वारा उठाए गए तर्कों के लिए सहायक नहीं है क्योंकि यह धारा 35,37 और 37-ए में उल्लिखित तिथियों पर संरक्षित किरायेदार का मामला नहीं है।

44. जुपुडी भूषणम में विद्वान एकल पीठ का आदेश इस आशय का है कि एक बार धारा 38-ई के तहत प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, और बाद में उसे बेदखल कर दिया गया है, उसे सिविल कोर्ट से उपचार लेने का अधिकार है। उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा है कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई की उप-धारा (1) में स्पष्टीकरण में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संरक्षित किरायेदार, धारा 32 में दिए गए तरीके और आदेश के अलावा अन्यथा बेदखल होने के कारण, उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख को भूमि के कब्जे में नहीं है, तो तहसीलदार उक्त धारा 32 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, या तो स्वतः श्रीधर रेड्डी और ओआरएस।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इस आशय से या संरक्षित किरायेदार के आवेदन पर एक संक्षिप्त जांच करें, और निर्देश दें कि भूमि धारक के कब्जे में ऐसी भूमि या उस क्षेत्र में उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि से लिया जाएगा। इसका अधिकार और संरक्षित किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा।

45. कासा मुथन्ना के फैसले में, वादी भरोसा कर रहा था

किरायेदारी अधिनियम की धारा 38 के तहत एक प्रमाण पत्र पर जबकि प्रतिवादी एक बिक्री पर भरोसा कर रहा था जो किरायेदारी अधिनियम की धारा 38 के संदर्भ में अमान्य था। उच्च न्यायालय प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील की जांच कर रहा था, जब धारा 38-ई के तहत वादी या उनके पूर्ववर्तियों को प्रमाण पत्र दिया गया था। उपरोक्त मामले में, धारा 38-ई के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार चुनौती नहीं दिए जाने के लिए अंतिम और बाध्यकारी हो गया था। अदालत ने

अभिनिर्धारित किया कि 38-ई प्रमाणपत्र की उपेक्षा करते हुए की गई राजस्व प्रविष्टियां अवैध हैं और जब एक बार स्वामित्व स्थापित हो जाता है और प्रतिवादी प्रतिकूल अधिकार या कब्जे में रहने का कोई अन्य अधिकार साबित करने में विफल हो जाते हैं, तो वादी वसूली अधिकार की राहत के हकदार होते हैं।

46. फैसले में जे. नारायण और ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किया गया। वी. जैनपल्ली

पेड्डा किस्टैया और ओआरएस 20, जिस प्रश्न की जांच की गई, वह यह था कि क्या अपीलार्थी किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के तहत संरक्षित किरायेदार हैं या मालिक हैं। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां भी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वहां भी इसे जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद
भूमि को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाएगा।

मालिक और उसका वास्तविक भुगतान। भुगतान में चूक

इसकी संपूर्णता या उसके हिस्से में कीमत रद्द करने का कारण बनेगी

स्वामित्व।

17. तत्काल मामले में अपीलकर्ताओं को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था

किसी भी तरह से स्वामित्व। उन्होंने पट्टे का कोई विलेख भी पेश नहीं किया,

भूमि की कीमत निर्धारित की गई थी और उसी का भुगतान किया गया था किरायेदारी अधिनियम की Sec.38-E की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किया गया है।

XXX

XXX

XXX

22. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी पी. टी. या उसके उत्तराधिकारियों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, तो वे दायर करके किरायेदारी अधिनियम की धारा 32 के तहत कब्जे की वसूली की राहत ले सकते हैं।

तहसीलदार के समक्ष आवेदन। वास्तव में, उन्होंने एक याचिका दायर की

सेक के तहत आवेदन। 32 प्रत्यर्थियों के खिलाफ कब्जे की वसूली के लिए वर्ष 1988 में किरायेदारी अधिनियम।

हालाँकि, वह भूमि अधिग्रहण और अधिसूचना के बाद था

अधिनियम के Sec.4 (1) के तहत प्रकाशित किया गया था। आज तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि प्रत्यर्थियों के पास निर्विवाद रूप से भूमि का कब्जा है और इसके विपरीत अपीलकर्ताओं के पास कभी भी भूमि का कब्जा नहीं था, जब तक कि इसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। द.

बिन्दु संख्या 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

47. कथित तौर पर संरक्षित किरायेदार द्वारा अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र देने और बाद में वापस लिए जाने के खिलाफ दायर अपील

मालिक माना जाता है। एक बार जब संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है, तो कोई अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुदान के आधार पर खरीदारों को उनके स्वामित्व से वंचित कर दिया गया था। इस तरह

खरीदारों द्वारा प्रमाणपत्र पर भी विवाद नहीं किया गया था। अतः शीर्षक

संरक्षित किरायेदार पूर्ण हैं और स्वामित्व स्पष्ट रूप से निहित है

उनके साथ।

48. अब हम दिए गए अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र की जांच करेंगे।

वर्ष 1982 में खरीदारों को। 1.11.1973 के बाद से खरीदार के पास कब्जे के आधार पर कब्जे के अधिकारों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण पर। यदि संरक्षित किरायेदारी अधिकारों का समर्पण क़ानून के अधिदेश के अनुसार नहीं है, तो

1.11.1973 से कब्जा इस तरह के कब्जे के रूप में महत्वहीन होगा।

यह संरक्षित किरायेदार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो वैधानिक संरक्षण का हकदार है। वास्तव में, स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र का अनुदान

संरक्षित किरायेदार को स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित करें।

49. इनाम अधिनियम किरायेदारी अधिनियम के बाद का एक कानून है।

इनाम अधिनियम की धारा 33 इस आशय की है कि अधिनियम में कुछ भी किसी भी तरह से इन प्रावधानों के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा। इनामदार थोटा श्रीधर रेड्डी एंड ओआरएस के किसी भी इनाम या पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के लिए किरायेदारी अधिनियम।

वी. मंडला रामुलम्मा और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

और उसके किरायेदारों को छोड़कर, जहाँ तक उक्त प्रावधान किसी भी तरह से हैं

वर्ष 1955 में धारा 38-ई (1) को वर्ष 1971 में प्रतिस्थापित किया गया था जो एक गैर-अबाधित खंड से शुरू होता है। इसलिए, किरायेदारी अधिनियम के तहत दिया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र अधिभोग के अनुदान पर हावी होगा। इनाम अधिनियम के तहत अधिकार प्रमाण पत्र। दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। इनाम अधिनियम भूमि मालिक से संबंधित है, जबकि किरायेदारी अधिनियम टिलर यानी एक संरक्षित किरायेदार सहित किरायेदार के अधिकारों की रक्षा करता है।

इनाम अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) के संदर्भ में, सभी अधिकार, शीर्षक और हित

संरक्षित किरायेदार सहित इनामदार में निहित होना बंद हो जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से राज्य में निहित हो जाएगा। इनाम अधिनियम की धारा 7 एक संरक्षित किरायेदार के पंजीकृत होने के अधिकार से संबंधित है।

अपने कब्जे में ऐसी इनाम भूमि के अधिभोगकर्ता के रूप में जो धारा 4 के तहत आवंटन के बाद बची हो सकती है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई को शुरू में वर्ष 1954 में जोड़ा गया था और बाद में इसके स्थान पर

1971 इस तरह के प्रावधान को प्रबल प्रभाव देना। इसलिए इनाम अधिनियम के तहत इनामदार को अधिभोग के आवंटन का कोई अधिकार नहीं होगा।

धारा 38-ई को दिए गए प्रबल प्रभाव को देखते हुए अधिकार।

50. हालांकि, 19 एकड़ और 16 गुंटा की भूमि के संबंध में संरक्षित किरायेदार को स्वामित्व अधिकार दिए गए थे, जबकि भूमि माप के संबंध में अधिभोग अधिकार दिए गए हैं।

31.05 सर्वेक्षण सं. में आने वाली भूमि सहित गुंटा। 61 और 62 जीदीमेटला गाँव में 19.2.1982 पर। इसलिए, खरीदार के पक्ष में उक्त अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र सर्वेक्षण संख्या के तहत आने वाली भूमि के संबंध में मान्य होगा। 61 और 62, जो संरक्षित किरायेदार द्वारा अपनी किरायेदारी के हिस्से के रूप में दावा की गई भूमि नहीं है। अधिभोग अधिकार

सर्वेक्षण सं. में आने वाली भूमि के संबंध में प्रमाण पत्र। 53 , 54 , 55 और 56 शून्य और शून्य और निष्क्रिय है।

51. संरक्षित किरायेदार धारा 38-ई (1) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में कब्जे की बहाली का हकदार होगा।

32 किरायेदारी अधिनियम। तहसीलदार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकार है

3 महीने के भीतर संरक्षित किरायेदार को वितरित किया गया।

52. इस प्रकार, वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाता है सिवाय इसके कि किस हद तक

सर्वेक्षण सं. में आने वाली भूमि का। 61 और 62 जिसके संबंध में अधिभोग 19.2.1982 पर खरीदारों को दिया गया प्रमाण पत्र वैध होगा।

दिव्या पांडे